

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार सिडको इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स रंगरेट, श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर-191132

National Institute of Fashion Technology

Ministry of Textiles, Govt. of India SIDCO Electronic Complex Rangreth, Srinagar-191132 J&K

दिनांक: 22-12-2020

16309(2)/निफ़्ट/श्रीनगर/प्रशा/आहारिका सेवाएँ/2018/451

आहारिका सेवाएँ प्रदान करने के लिए ई-निविदा सूचना

राष्ट्रीय फ़ैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), श्रीनगर अपने परिसर, छात्रावास आदि के लिए **आहारिका सेवाएँ** प्रदान करने के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित करता है।

निविदा प्रक्रिया के लिए समय-सारणी:

निविदा अधिसूचना की तिथि	22-12-2020
विधिवत भरी हुई निविदा (ऑनलाइन) प्राप्त करने की	14-01-2021, दोपहर 3 बजे
अंतिम तिथि	,
निविदा की तकनीकी बोली खुलने की तिथि व समय	18-01-2021, शाम 4:30 बजे
निविदा की वित्तीय बोली खुलने की तिथि व समय	तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को सूचित किया
	जाएगा
बयाना जमा	"शून्य" बोली सुरक्षा घोषणा बोलीदाताओं द्वारा बोली
	दस्तावेज़ में रखी जाएगी

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, फर्म को https://nifttenders.eproc.in पर खुद को पंजीकृत करवाना होगा। पंजीकरण के लिए भुगतान राशि

- वार्षिक पंजीकरण शुल्क रु. 2000 + लागू कर।
- बोली प्रक्रिया का शुल्क रु. 1164 + लागू कर।

टिप्पणी: निविदाकर्ता को निविदा दस्तावेजों (केवल तकनीकी बोली) के साथ निविदा की मूल्य बोली को छोड़कर सभी संबंधित दस्तावेजों की विधिवत स्वप्रमाणित प्रतियां भौतिक रूप में (जो ऑनलाइन निविदा के साथ जमा की जा रही हैं) बयाना जमा के लिए बोली सुरक्षा घोषणा के साथ अंतिम तिथि पर या उससे पहले जमा करनी होगी। तकनीकी बोली और बयाना जमा के लिए बोली सुरक्षा घोषणा की हार्ड प्रति निदेशक, निफ्ट श्रीनगर, सिडको इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स रंगरेट, श्रीनगर - 191132 (जम्मू-कश्मीर) के कार्यालय में 14.01.2021 को दोपहर 3 बजे तक या उससे पहले पहुंच जानी चाहिए। ठेकेदारों के निविदा दस्तावेज़, उपर्युक्त दस्तावेजों के होने का प्रमाण प्रस्तुत न करने पर बिना किसी सूचना के खारिज किए जा सकते हैं। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, बोलीदाता अपने प्रश्न estates.srinagar@nift.ac.in पर भेज सकते हैं या +91-7006149501 पर संपर्क कर सकते हैं।

निदेशक निफ़्ट, श्रीनगर

1. परिचय:

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ़्ट) की स्थापना वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1986 में की गई थी, जिसे 2006 में संसद के अधिनियम (निफ़्ट अधिनियम 2006) के तहत फैशन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान के प्रचार और विकास के लिए सांविधिक दर्जा दिया गया है। निफ्ट 16 केंद्रों के अपने नेटवर्क के माध्यम से देश भर में फैशन व्यवसाय शिक्षा प्रदान करता है। यह डिजाइन और प्रौद्योगिकी में चार साल के स्नातक (यूजी) कार्यक्रम; डिजाइन, फैशन प्रबंधन और फैशन प्रौद्योगिकी में दो साल के स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रम और फैशन के क्षेत्र में पेशेवरों और छात्रों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए अल्पकालिक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करता है। निफ्ट का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके परिसर बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गांधीनगर, हैदराबाद, जोधपुर, कांगड़ा, कन्नूर, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, पटना, रायबरेली, शिलांग और श्रीनगर में स्थित हैं।

निफ्ट, श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर की स्थापना वर्ष 2016 में स्नातक पाठ्यक्रमों के साथ की गई थी और वर्तमान में इसका परिसर रंगरेट, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) में चल रहा है।

2. निविदा आमंत्रण सूचना:

निफ्ट श्रीनगर परिसर ने निफ्ट परिसर और हॉस्टल में 162 छात्रों के लिए परिसर में आहारिका/ मेस सेवाएं प्रदान करने के लिए "दो बोली प्रणाली" के तहत ई-निविदाएं आमंत्रित की हैं। इसके अलावा, अन्य 40 कर्मचारी भी परिसर में आहारिका/ मेस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस निविदा के लिए "दो बोली प्रणाली" का पालन किया जाएगा। निविदाकर्ता को सीलबंद लिफाफे में निविदा जमा करते समय आवश्यकता के अनुसार सावधानी बरतनी चाहिए। प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन निविदा दस्तावेज में निर्धारित मानदंड के अनुसार किया जाएगा। निफ्ट बोलियों को खोलने के बाद किसी भी संशोधन पर विचार नहीं करेगा और निविदा शर्तों के अनुरूप नहीं होने वाली बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसलिए, बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा दस्तावेज की आवश्यकता के अनुसार अपनी बोलियों को पूर्ण रूप में प्रस्तुत करें, जिसमें बोली मूल्यांकन मानदंड, सामान्य निबंधन और शर्तों और कार्य के दायरे की आवश्यकता आदि के सभी खंडों के लिए उनकी स्वीकृति निर्दिष्ट है। इच्छुक फर्म ऑनलाइन आवेदन करें और अपनी निविदा के समर्थन में सभी संबंधित प्रमाणपत्रों, दस्तावेजों आदि की स्कैन की गई प्रतियों के साथ अपनी निविदा और बोलियां जमा करें।

बोलियां जमा करना

- 1. इच्छुक एजेंसियों/ठेकेदारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और https://nifttenders.eproc.in पर अपनी तकनीकी और मूल्य बोलियों के समर्थन में सभी संबंधित प्रमाणपत्रों, दस्तावेजों आदि की विधिवत हस्ताक्षरित, स्कैन की गई प्रतियों के साथ अपनी निविदा 14.01.2021 को दोपहर 3 बजे तक जमा करनी होगी। ई-निविदा दस्तावेज निफ्ट पोर्टल और निफ्ट वेबसाइट यानी https://nifttenders.eproc.in और http://www.nift.ac.in/srinagar के "निविदा" लिंक पर देखने के लिए भी उपलब्ध हैं।
- 2. इस निविदा के लिए आवेदन केवल वेबसाइट https://nifttenders.eproc.in के माध्यम से ऑनलाइन माध्यम में स्वीकार किए जाएंगे।
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, फर्म को https://nifttenders.eproc.in पर भुगतान करके खुद को पंजीकृत करवाना होगा। भुगतान की राशि निम्न है:
 - वार्षिक पंजीकरण शुल्क रु. 2000 + लागू कर निविदाकार के हस्ताक्षर

- बोली प्रक्रिया का शुल्क रु. 1164+ लागू करा
- 4. इच्छुक एजेंसियां/ठेकेदार निम्नलिखित ईमेल आईडी: sandeep.bhandari@c1india.com और niftsupport@c1india.com या दूरभाष: +91-124- 4302033/36/37 पर ऑनलाइन पंजीकरण के लिए सी1 इंडिया से संपर्क कर सकते हैं और पंजीकरण की स्वीकृति के लिए अपनी कंपनी का नाम, पता और यूजर आईडी तथा बोली प्रक्रिया के शुल्क के अनुमोदन के लिए निविदा आईडी और निविदा शीर्षक बता सकते हैं।
- 5. फर्म को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह बोली प्रस्तुत करने के लिए आवेदन करने से पहले कार्यों के अनुसार आवश्यकताओं का अनुपालन करती हो।
- 6. इच्छुक फर्मों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी निविदा जमा करने से पहले पूरे निविदा दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें और निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन प्राप्त नहीं होने वाले और/या किसी भी तरह से अपूर्ण पाए जाने वाले निविदा दस्तावेजों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

बुनियादी आवश्यकताएं

पंजीकरण और निविदा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बुनियादी आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं:

- 🗲 ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 या उससे ऊपर का होना चाहिए।
- जावा संस्करण: जावा 8 अपडेट 25।
- 🕨 इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 संस्करण का प्रयोग
- 🗲 सभी जावा ऐड-ऑन सिस्टम में सक्षम होने चाहिए
- > हमेशा कक्षा III बी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) का उपयोग करें जिसमें हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन दोनों हों।

ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए निविदाकर्ता निम्नलिखित हेल्पडेस्क अधिकारियों से संपर्क कर सकता है:

- 🕨 ईमेल: niftsupport@c1india.com, sandeep.bhandari@c1india.com
- फोन: 0124-4302033/36/37

कार्य का दायरा:

1. निफ़्ट की आवश्यकताएँ

ठेकेदार, जिन्हें सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/शैक्षणिक संस्थान जिनमें विद्यालय और महाविद्यालय /प्रतिष्ठित निजी संस्थान शामिल हैं, में आहारिका/ मेस / भोजन-प्रबंध व्यवसाय चलाने का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव हो और जैसा कि इस निविदा दस्तावेज के संविदा बी-I और बी-II में दिया गया है, जो ठेकेदार छात्रों और अधिकारियों/कर्मचारियों की उन जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, वे आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

इस निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चयनित विक्रेता को कार्य आदेश की तिथि से 15 दिनों के भीतर आहारिका को शुरू करना होगा और आहारिका / मेस सेवाएं प्रदान करनी होगी। वर्तमान में परिसर में लगभग 162 छात्र, और 40 स्टाफ सदस्य हैं। इसके अलावा लगभग 33 छात्र छात्रावास में रह रहे हैं। यह उम्मीद की जाती है कि

उपरोक्त छात्रों/कर्मचारियों में से अधिकांश आहारिका सेवाओं का लाभ उठाएंगे। आहारिका सेवाओं के लिए ग्राहकों की कुल संख्या की निफ़्ट की कोई प्रतिबद्धता नहीं है।

अभी तक, निफ्ट परिसर और हॉस्टल रंगरेट, श्रीनगर में स्थित है। संविदा के दौरान परिसर और/या छात्रावास का स्थान बदल सकता है। बिना किसी अतिरिक्त लागत के स्थान परिवर्तन के मामले में ठेकेदार को सेवा जारी रखनी होगी।

भुगतान की प्रतिपूर्ति के लिए ठेकेदार मासिक आधार पर छात्रावास में रहने वाले छात्रों को प्रदान की जाने वाली खानपान सेवाओं के बिल निफ्ट को प्रस्तुत करेगा। अन्य सेवाओं/बिक्री के संबंध में ठेकेदार आहारिका सेवाओं के लिए छात्रों (गैर-छात्रावास)/कर्मचारियों/संकाय/अधिकारियों से सीधे भुगतान एकत्र करेगा।

निफ्ट केवल उन्हीं बिलों का भुगतान करेगा जिन्हें निफ्ट प्रशासन द्वारा लिखित आदेश के माध्यम से आधिकारिक उद्देश्य के लिए हाई टी/चाय/कोल्ड ड्रिंक्स/नाश्ता आदि उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाएगा। आहारिका की व्यवस्था और सेवाएं ठेकेदार द्वारा शैक्षणिक और प्रशासनिक ब्लॉक, आधिकारिक बैठकों में नियमित कार्यालय समय के दौरान प्रदान की जाएंगी, जिसमें चाय और नाश्ता, हाई टी/शीतल पेय / जूस आदि शामिल हो सकते हैं।

निफ्ट श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं

निफ्ट श्रीनगर में रसोई और भोजन सुविधाओं के साथ आहारिका सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेष स्थान है। परिसर का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस के दौरान प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक सम्पदा विभाग को पूर्व सूचना देकर किया जा सकता है। वास्तविक उपयोग के आधार पर बिजली का शुल्क ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। हालांकि, संस्थान विक्रेता द्वारा भुगतान किए गए रखरखाव शुल्क के हिस्से से पानी उपलब्ध कराएगा।

कच्चे माल, खाद्य सामग्री, खाना पकाने के ईंधन / गैस सिलेंडर, सफाई / कपड़े धोने की सामग्री / उपकरण / क्रॉकरी और जनशक्ति की व्यवस्था ठेकेदार को अपने खर्च पर करनी होगी। निफ्ट ठेकेदार द्वारा नियुक्त जनशक्ति के लिए आवास उपलब्ध नहीं कराएगा।

II. तकनीकी और योग्यता आवश्यकताएँ:

- 1. दुकान स्थापना का वैध प्रमाण पत्र।
- 2. आहारिका/मेस सेवाएं चलाने के लिए ठेकेदार के पास वैध एफ.एस.एस.ए.आई प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
- 3. तकनीकी बोली के साथ पिछले 3 वित्तीय वर्षों अर्थात 2017-18, 2018-19, 2019-20 का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

- 4. ठेकेदार का न्यूनतम आवर्त/टर्नओवर पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष रु. 20 लाख होना चाहिए (कृपया तकनीकी बोली के साथ सीए प्रमाणित लेखापरीक्षित / अलेखापरीक्षित; लेखापरीक्षित तुलन पत्र वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 संलग्न करें)।
- 5. आईटीआर (वित्त वर्ष 2017-18, वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20) की प्रति सीए द्वारा विधिवत प्रमाणित।
- 6. निविदा दस्तावेज में दिए गए प्रारूप के अनुसार वचन दें की आपको कभी भी सरकारी/ गैर सरकारी एजेंसी द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया।
- 7. ठेकेदार के पास मालिक या फर्म के नाम पर वैध पैन नंबर होना चाहिए। (तकनीकी बोली के साथ प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।
- 8. ठेकेदार के पास श्रीनगर/बडगाम में उचित पर्यवेक्षण, दिन-प्रतिदिन की आवश्यकता के मामले में उचित पहुंच, और स्थान पर आहारिका/मेस फर्म के साथ बेहतर समन्वय के लिए एक शाखा कार्यालय होना चाहिए। यदि फर्म के पास श्रीनगर में कार्यालय नहीं है, तो बोली लगाने वाले को यह वचन देना होगा कि संविदा के आबंटन के एक महीने के भीतर कार्यालय श्रीनगर में खोला जाएगा।
- 9. पूरी जानकारी और सहायक दस्तावेजों के बिना तकनीकी बोली पर वित्तीय बोली के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- 10. ठेकेदार को तकनीकी बोली फॉर्म, संविदा बी-I, बी-II और बी-III भरना होगा और ऊपर उल्लिखित सहायक दस्तावेज प्रदान करने होंगे।
- 11. फर्म/एजेंसी के जीएसटी पंजीकरण की प्रति।
- 12. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी रिटर्न की प्रतियां
- 13. पैन कार्ड की प्रति
- 14. फर्म/एजेंसियों के श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में पंजीकृत कार्यालय के साथ-साथ शाखा कार्यालय का पता प्रमाण।
- 15. सभी कॉलम अनिवार्य रूप से भरे जाने चाहिए।
- 16. बयाना जमा के लिए बोली सुरक्षा घोषणा।

तकनीकी बोली में प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, निफ्ट विवरण की पुष्टि, प्रतिपरीक्षण कर सकता है, परिसर का दौरा कर सकता है और बोलीदाताओं को लघुसूचित करने के लिए अधिकारियों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन कर सकता है। केवल लघुसूचित किए गए बोलीदाताओं की मूल्य बोलियां विचार के लिए खोली जाएंगी।

निविदाकर्ता योग्यता मानदंडों के तहत सभी आवश्यकताओं का पालन करेंगे। तकनीकी बोली के साथ प्रमाण संलग्न किया जाएगा, तकनीकी बोली के तहत किसी भी मानदंड में विफल रहने पर मूल्य बोली खोलने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

<u>ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली गुणवत्ता और स्वच्छता:</u>

- संस्थान द्वारा गठित आहारिका/मैस सिमिति की संतुष्टि के अनुसार ठेकेदार अच्छी गुणवत्ता की आहारिका में बेचे जाने वाले सभी खाद्य और अन्य वस्तुओं की खरीद करेगा।
 आहारिका/मेस सिमिति को खाना पकाने के लिए आपुर्ति/उपयोग की जाने वाली सामग्री के किसी भी ब्रांड को बदलने का
- अधिकार होगा, बशर्ते उसकी लागत निर्दिष्ट ब्रांड की लागत से अधिक न हो।
- 2. भोजन को स्वच्छ परिस्थितियों में पकाया, भंडारित और परोसा जाएगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि केवल ताजा पका हुआ भोजन ही परोसा जाए और बासी का पुनर्चक्रण न हो। आहारिका परिसर से बासी भोजन को यथाशीघ्र हटाया जाए। बिना प्रशीतित पका हुआ भोजन, जो गर्मी के महीनों में तीन घंटे के भीतर और सर्दियों के महीनों में छह घंटे के भीतर नहीं खाया जाता है, उसे बासी और उपभोग के लिए अनुपयुक्त माना जाएगा।
- 3. भोजन पौष्टिक होगा और सामान्य रूप से कर्मचारियों / छात्रों के स्वाद को पूरा करेगा।
- 4. दिन के अंत में डीप फ्राई करने से जो तेल बचता है, उसका निपटान करना होगा और इसे दोबारा पकाने के उद्देश्य से पुनर्चक्रित नहीं किया जाएगा।
- 5. भोजन को साफ बर्तनों में पकाया और परोसा जाना चाहिए और इस संबंध में किसी भी तरह की ढिलाई की अनुमित नहीं दी जाएगी।
- 6. बर्तनों को हमेशा चमकते हुए और साफ होना चाहिए।
- 7. किसी भी वस्तु को परोसने से पहले प्रत्येक सुबह सभी बर्तनों को कीटाणुरहित कर देना चाहिए।
- 8. आहारिका को साफ सुथरा रखने के लिए ठेकेदार को हमेशा विशेष ध्यान देना होगा। इस प्रयोजन के लिए, ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से प्रत्येक भोजन अवधि के बाद आहारिका को अच्छी तरह से साफ किया जाएगा।
- 9. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि छात्रों/कर्मचारियों को केवल गर्म भोजन ही परोसा जाए। इस संबंध में शिकायत, यदि कोई हो, को गंभीरता से लिया जाएगा।
- 10. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि आहारिका की संपत्ति और परिसर की सफाई, धुलाई और समग्र रखरखाव सहित प्रत्येक भोजन को तैयार करने और परोसने के लिए हमेशा पर्याप्त जनशक्ति तैनात की जाए।
- 11. ठेकेदार जब भी आवश्यक हो, निफ्ट के अधिकारियों के लिए उचित कक्ष-सेवाएं भी सुनिश्चित करेगा।
- 12. संविदा बी-I और बी-III और बी-III में सूचीबद्ध वस्तुओं के लिए ठेकेदार को निविदा को अंतिम रूप देने पर निर्धारित दरों पर वस्तुओं की आपूर्ति करनी चाहिए।
- 13. अनुमोदित दर सूची भी निफ्ट आहारिका में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जानी चाहिए।
- 14. ठेकेदार को संविदा 'ए-III' में सूचीबद्ध कच्चे माल के ब्रांड का भी पालन करना होगा।

क. सामान्य निबंधन और शर्तैं: -

- 1. ठेकेदार को खाली जगह और अन्य बुनियादी संरचना का उपयोग करने के लिए निफ्ट श्रीनगर को मासिक रखरखाव शुल्क 5000.00 रुपये का भुगतान करना होगा। ठेकेदार को मासिक रखरखाव शुल्क मासिक आधार पर महीने के 5 वें दिन या उससे पहले अग्रिम रूप से जमा करना होगा।
- 2. संविदा शुरू होने की तारीख से एक वर्ष की अविध के लिए वैध रहेगा। संविदा को इन्हीं निबंधन और शर्तों पर सालाना आधार पर 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, इसका अधिकार निफ्ट के पास सुरक्षित हैं। विस्तार संविदा के संतोषजनक प्रदर्शन पर आधारित होगा। निफ्ट एक महीने के नोटिस के साथ फर्म के साथ संविदा समाप्त कर सकता है। एक बार दिए गए संविदा को ठेकेदार द्वारा तीन महीने का नोटिस देने के बाद ही समाप्त किया जा सकता है क्योंकि निफ्ट को आहारिका चलाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होती है। फिर भी, यदि फर्म संविदा की किसी भी शर्त का उल्लंघन करती है, तो

निफ्ट बिना किसी नोटिस के फर्म के संविदा को समाप्त कर सकता है। निफ्ट का निर्णय कि कोई उल्लंघन हुआ है, अंतिम होगा और फर्म द्वारा बिना किसी आपत्ति के स्वीकार किया जाएगा।

- 3. बोली प्रस्तुत करने से यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने इस निविदा में उल्लिखित सभी निबंधन एवं शर्तों को स्वीकार कर लिया है।
- 4. ठेकेदार को संस्थान को वास्तविक आधार पर बिजली शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसके लिए ठेकेदार द्वारा उप-मीटर स्थापित किया जाएगा। संस्थान के बिजली खपत के लिए प्राप्त कुल बिलों में से, ठेकेदार अपने द्वारा खपत की गई इकाइयों की राशि का भुगतान संस्थान को परिसर द्वारा खपत की गई इकाई की औसत दर के अनुसार करेगा।
- 5. वाणिज्यिक गैस कनेक्शनों को फिर से भरने का खर्च ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।
- 6. इस बोली में उद्धृत दरें निफ्ट आहारिका में आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं के लिए होंगी, ठेकेदार को निफ्ट से पूर्व लिखित अनुमित के बिना आहारिका से आवश्यक वस्तुओं को कम करने की अनुमित नहीं होगी। निर्दिष्ट लागत पर किसी भी वस्तु की आपूर्ति करने में विफलता को संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।
- 7. अनुलग्नक B-I, B-II और B-III में मदों की दरें निर्धारित अधिकतम दरों से अधिक नहीं हो सकती हैं। पैकेज्ड सामान अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से ज्यादा में नहीं बेचा जाना चाहिए। यदि कोई बोलीदाता अधिक राशि उद्धृत कर रहा है, तो निर्धारित दरें मान्य होंगी।
- 8. प्लास्टिक के उपयोग से बचने के लिए विक्रेता पुन: उपयोग योग्य / पुन: प्रयोज्य प्लेट और कप का उपयोग करेंगे।
- 9. आहारिका में विक्रय की जाने वाली वस्तुएँ स्वीकृत सूची के अनुसार ही होंगी।
- 10. निविदाकर्ता को तकनीकी बोली के साथ बयाना राशि जमा करने के लिए स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना होगा।
- 11. निफ्ट 24 घंटे के नोटिस की समाप्ति के बाद बिना किसी पत्राचार के परिसर का कब्जा लेने का हकदार होगा। तथापि, जब-जब भी ध्यान में आएगा चूक के किसी भी मामले के बारे में उसे लिखित रूप में सूचित किया जाएगा ताकि वह अपनी गलती को सही करने और सुधारने में सक्षम हो।
- 12. निविदा केवल आधिकारिक निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत की जाएगी, <u>यदि किसी अन्य प्रारूप में जमा की जाती है तो उसे</u> सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। किसी भी निविदाकार को एक से अधिक निविदा प्रपत्र जारी नहीं किये जायेंगे।
- 13. प्रदान की जाने वाली आहारिका सेवाओं के लिए मेन्यू आदि को सूचीबद्ध करने वाली निविदा के रूप में जारी अनुसूचियों में निविदाकर्ता द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। निविदाकर्ता द्वारा आवश्यक समझे जाने वाली दर अनुसूचियों में कोई भी संशोधन/परिवर्तन निविदा के साथ दिए अलग पत्र में होना चाहिए।
- 14. निविदा से कोई कागज अलग नहीं किया जाएगा।
- 15. दिए गए स्थान पर निविदाकार का नाम और पता रबड़ की मुहर के साथ स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए और निविदा के किसी भी हिस्से में तब तक अधिलेखन, सुधार, प्रविष्टि की अनुमित नहीं दी जाएगी जब तक कि निविदाकर्ता द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षर न किया जाए। निविदा को यहां निर्धारित निर्देशों के अनुसार पूर्ण रूप से भरा और जमा किया जाना चाहिए अन्यथा निविदा को अनदेखा किया जा सकता है।
- 16. यदि निविदा में पूरी जानकारी नहीं दी जाती है या निविदा की अनुसूची में मांगे गए विवरण और डेटा (यदि कोई हो) को नहीं भरा जाता है, तो निविदा को अनदेखा किया जा सकता है।
- 17. निविदा या निविदा से जुड़े अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को यह निर्दिष्ट करना होगा कि क्या वह इस रूप में हस्ताक्षर करता/करती है:
 - संस्था का एकमात्र मालिक या ऐसे एकमात्र मालिक का गठित प्रतिनिधि/एटॉर्नी

- II. फर्म का एक साझेदार यदि वह एक साझेदारी फर्म है, तो ऐसे मामले में उसके पास फर्म की ओर से साझेदारी समझौते के आधार पर या फर्मों के साझेदारों द्वारा विधिवत निष्पादित मुख्तारनामे द्वारा संविदा निष्पादित करने का अधिकार होना चाहिए।
- III. कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत प्राधिकृत निदेशक या प्रधान अधिकारी।
- 18. उपरोक्त के मामले में पार्टनरिशप डीड या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति, नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित किसी भी मामले में प्रस्तुत की जानी चाहिए; या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या सभी साझेदारों द्वारा साझेदारी समझौते के निष्पादन को स्वीकार करते हुए स्टाम्प पेपर पर विधिवत शपथ लेकर या पृष्टि कर एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। निविदा के साथ फर्म के प्रमाण-पत्र या पंजीकरण की सत्यापित प्रति संलग्न की जानी चाहिए। साझेदारी फर्म के मामले में, जहां साझेदारी के व्यवसाय से संबंधित विवाद को संदर्भित करने का कोई अधिकार किसी भी साझेदारी को प्रदान नहीं किया गया है, निविदा और अन्य सभी संबंधित दस्तावेजों पर फर्म के सभी साझेदारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। ऊपर 15 (सी) के मामले में निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को निदेशक मंडल द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा प्राधिकृत किया जाना चाहिए और प्रधान अधिकारी द्वारा सत्यापित संकल्प की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए।
- 19. सफल निविदाकर्ता को "राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर" के पक्ष में वापसी योग्य केवल डिमांड ड्राफ्ट के रूप में अनुमानित संविदा मूल्य के 3% की प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करनी होगी। इस जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यह ठेका सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद और ठेकेदार की बकाया राशि, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।
- 20. विलंबित निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। निफ्ट बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को पूरी तरह या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 21. निफ़्ट श्रीनगर के पास संविदा के सफल संचालन के लिए किसी भी कठिनाई/विसंगति को दूर करने की शक्तियां होंगी।
- 22. टेलीग्राफिक/फैक्स या सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 23. संविदा के दौरान आहारिका सेवाओं को जारी रखने के लिए ठेकेदार द्वारा गैस सिलेंडर (वाणिज्यिक) की व्यवस्था की जाएगी, इसके लिए निफ्ट द्वारा अलग से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 24. निफ्ट का निर्णय कि उल्लंघन हुआ है, अंतिम होगा और ठेकेदार द्वारा बिना किसी आपत्ति के स्वीकार किया जाएगा।
- 25. यदि संविदा की अविध के दौरान किसी भी समय, निफ्ट के ध्यान में यह आता है कि एजेंसी ने गलत/झूठी जानकारी देकर निफ्ट को गुमराह किया है, जो एजेंसी को संविदा प्रदान किए जाने में महत्वपूर्ण है, तो एजेंसी या मालिक/भागीदारों/निदेशकों या कानून के तहत एजेंसी के मामलों के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ शुरू की जा सकने वाली अन्य कानूनी कार्रवाई के अलावा संविदा समाप्त की जा सकती है।
- 26. ठेकेदार को निफ्ट परिसर में काम करने वाले श्रमिकों की एक सूची प्रदान करनी होगी और उनके बारे में पूरी जानकारी प्रदान करनी होगी। ठेकेदार निफ्ट परिसर में काम करने वाले अपने सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन और

मेडिकल रिपोर्ट भी उपलब्ध कराएगा। ठेकेदार द्वारा परिनियोजित जनशक्ति को संविदा/व्यवसाय के अनुरूप होना चाहिए। निफ्ट श्रीनगर के अधिकारी कर्मचारियों के परिनियोजन की पर्याप्तता निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखेंगे, जो ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

- 27. संविदा पर हस्ताक्षर करते समय ठेकेदार को एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा जो यह दर्शाए कि ठेकेदार के सभी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया गया है।
- 28. तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जाएगी।
- 29. ठेकेदार को समय-समय पर संस्थान की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आयोजनों/कार्यक्रमों के दौरान वास्तविक भुगतान पर अतिरिक्त भुगतान लेकर भोजन/जलपान परोसना पड़ सकता है।
- 30. ठेकेदार श्रम कानूनों (ईएसआई, ईपीएफ, बोनस, आयकर, सेवा कर या सरकार द्वारा लगाए गए किसी अन्य अतिरिक्त कर) कंपनी अधिनियम, कर कटौती देनदारियों, अपने कर्मचारियों के कल्याण उपायों सिहत भूमि के सभी कानूनों का पालन करेगा और क्षेत्र के अन्य सभी दायित्व और वे कानून भी जो यहां अनिवार्य रूप से सूचीबद्ध और परिभाषित नहीं हैं। बाद के चरण में ऐसा कोई भी दावा ठेकेदार की विशेष जिम्मेदारी होगी और इसमें किसी भी तरह से केंद्र को शामिल नहीं किया जाएगा।
- 31. ठेकेदार अर्धवार्षिक आधार पर एक चिकित्सा प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि भोजन संभालने वाले उसके सभी कर्मचारियों को कोई संक्रामक रोग नहीं है।
- 32. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि भोजन संभालने वाले उसके कर्मचारियों द्वारा साफ-सुथरे कपड़े और एप्रन हमेशा उपयोग किए जाते हैं। ठेकेदार द्वारा इस प्रकार नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी को निर्धारित वर्दी पहननी होगी। उक्त वर्दी ठेकेदार द्वारा अपने खर्चे पर उपलब्ध कराई जाएगी। आहारिका के कर्मचारी काम के घंटों के दौरान निफ्ट, श्रीनगर केंद्र द्वारा जारी किए गए पहचान-पत्र को वहन करेंगे।
- 33. ठेकेदार को अपने कर्मचारियों को किसी भी दिन, रात 10:30 बजे से सुबह 5:00 बजे के बीच निफ्ट आहारिका के अंदर रखने की अनुमित नहीं होगी। आवश्यक कर्मचारियों को उपलब्धता के आधार पर अलग से आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
- 34. आहारिका सभी कार्य दिवसों में सुबह 8:30 बजे से रात 09:00 बजे तक सोमवार से रिववार तक (स्थानीय/राष्ट्रीय अवकाश सिहत)खुली रहेगी। तथापि, अत्यावश्यकताओं के आधार पर, ठेकेदार को निफ्ट की आवश्यकता के अनुसार आहारिका को खुला या बंद रखना पड़ सकता है।
- 35. ठेकेदार आहारिका और रसोई के लिए निर्धारित स्थान पर कब्जा करेगा और बगल के बरामदे और खुले स्थान पर कब्जा नहीं करेगा।
- 36. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मचारी परिसर में इधर-उधर न घूमें। ठेकेदार के कर्मचारियों के कारण निफ्ट को किसी प्रकार की हानि होने की स्थिति में ठेकेदार जिम्मेदार होगा।
- 37. निफ्ट के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह ठेकेदार को बिना कोई कारण बताए या नोटिस दिए ठेकेदार द्वारा तैनात किसी भी व्यक्ति को हटाने का निर्देश दे सकता है।

- 38. ठेकेदार रसोई और आहारिका में स्वच्छता के उच्च स्तर को सुनिश्चित करेगा। ठेकेदार सभी खाद्य पदार्थों को मिक्खयों और कीड़ों से मुक्त शोकेस में ढककर रखने की व्यवस्था करेगा। कचरे के उचित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार द्वारा पर्याप्त संख्या में कूड़ेदान उपलब्ध कराए जाएंगे। आहारिका के भीतर किसी भी प्रकार के अनुपयोगी भोजन या अन्य वस्तुओं का कचरा नहीं होना चाहिए। ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि निफ्ट परिसर में इस्तेमाल किए गए बर्तन जैसे कप, प्लेट नहीं पड़े हैं और इन्हें तुरंत और बार-बार हटाया जाना चाहिए।
- 39. ठेकेदार आहारिका परिसर से आहारिका का कचरा प्रतिदिन हटाना सुनिश्चित करेगा। हालांकि, कचरे के निपटान के लिए बाहर ले जाने से पहले, सुरक्षा पर्यवेक्षक को यह सुनिश्चित करने के लिए इसे भौतिक रूप से जांचना होगा कि निपटान की जा रही सामग्री में कोई उपयोगी वस्तु नहीं है।
- 40. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि खाना पकाते समय रसोइयों को दाढ़ी उचित हो और नाखून कटे हुए हों और उन्हें एप्रन और हेड गियर पहनना चाहिए।
- 41. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि पका हुआ और कच्चा भोजन ठीक से संग्रहीत किया जाता है, और कोई भी बासी भोजन नहीं परोसा जाता है। किसी भी खाद्य विषाक्तता के मामले में, ठेकेदार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और उस पर कानूनी कार्रवाई के अलावा उसे दंडित किया जाएगा।
- 42. आहारिका / मेस समिति द्वारा खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल की किसी भी समय जाँच की जा सकती है और यदि घटिया / अनाधिकृत सामग्री पाई जाती है, तो ठेकेदार को निफ्ट के विवेक पर दंडित किया जाएगा और ठेकेदार को इसका पालन करना होगा। यदि घटिया सामग्री का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो दंड में कम से कम रु. 5,000/- प्रति अवसर शामिल होगा।
- 43. ठेकेदार को आहारिका में बेची जाने वाली सभी खाद्य सामग्री, शीतल पेय, चाय, कॉफी और जूस आदि का मेनू और रेट सूची प्रदर्शित करना आवश्यक होगा।
- 44. ठेकेदार के पास एक निश्चित समय में कम से कम 150 व्यक्तियों के भोजन-प्रबंधन को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपकरण और क्रॉकरी और अन्य सामान होना चाहिए। उसके पास बुफे लंच/हाई टी की सेवा प्रदान करने के लिए के लिए; जब-जब आवश्यक हो; पर्याप्त बर्तन, क्रॉकरी और अन्य बुनियादी ढांचा होना चाहिए।
- 45. ठेकेदार को आहारिका चलाते समय सभी सुरक्षा उपाय (अग्नि सहित) करने चाहिए। वह आहारिका में काम करने के लिए तैनात व्यक्तियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स रखेगा।
- 46. ठेकेदार आहारिका के काम के लिए नाबालिग / बाल श्रमिकों को तैनात नहीं करेगा।
- 47. ठेकेदार श्रम कानूनों, कर कटौती देनदारियों, अपने कर्मचारियों के कल्याण उपायों और किसी भी अन्य वैधानिक दायित्वों सहित भूमि के सभी कानूनों का पालन करेगा।
- 48. निफ्ट, ठेकेदार के बिलों से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-सी के तहत स्रोत पर आयकर की कटौती करेगा।

- 49. विभिन्न मदों की दरें संलग्न सूची के अनुसार होंगी। यदि ठेकेदार संलग्न सूची में निर्दिष्ट नहीं किए गए खाद्य पदार्थों को उपलब्ध कराने का इरादा रखता है, तो उसे आहारिका / मेस समिति / निफ्ट अधिकारियों द्वारा अनुमोदित दरों पर ही ऐसा करना होगा।
- 50. आहारिका/मैस समिति के सदस्य समय-समय पर भोजन आदि की तैयारी का निरीक्षण कर सकते हैं।
- 51. ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई असंतोषजनक सेवाओं की स्थिति में, निफ्ट द्वारा संविदा रद्द की जा सकती है। संविदा की अवधि के दौरान प्रत्येक चूक के लिए प्रति दिन 1000/- रुपये के मौद्रिक जुर्माने का भुगतान किया जाएगा। यदि 03 कार्य दिवसों के भीतर सेवाओं में सुधार नहीं होता है, तो चूक के लिए मौद्रिक जुर्माना 5,000/- रुपये प्रति दिन की दर से लगाया जाएगा और इसका भुगतान ठेकेदार को निफ्ट से संचार प्राप्त होने पर एक सप्ताह के भीतर करना होगा, ऐसा न करने पर इसे प्रतिभूति जमा से समायोजित किया जाएगा।
- 52. छात्रों, कर्मचारियों और अन्य को क्रेडिट बिक्री, नुकसान या चोरी के लिए निफ्ट द्वारा कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी।
- 53. निफ्ट में रोजगार या अन्यथा अवशोषण का दावा करने के लिए ठेकेदार के श्रमिकों के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा, और न ही ठेकेदार के श्रमिकों को लाभ और/या परिलब्धियों का दावा करने का कोई अधिकार होगा जो निफ्ट के कर्मचारियों को अनुमत या भुगतान किया जा सकता है। श्रमिक ठेकेदार के कर्मचारी बने रहेंगे और यह ठेकेदार की एकमात्र जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह अपने कर्मचारियों को निफ्ट में काम करने के लिए नियुक्त करने से पहले उन्हें यह स्पष्ट कर दे।
- 54. ठेकेदार किसी उप-ठेकेदार की सेवाएं नहीं लेगा या किसी अन्य व्यक्ति को संविदा हस्तांतरित नहीं करेगा। यदि, किसी भी समय यह पाया जाता है कि ठेकेदार आहारिका सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ है और उसने किसी अन्य पार्टी को उप-संविदा किया है, तो निफ्ट को संविदा समाप्त करने और सभी प्रतिभूति जमा को जब्त करने का अधिकार है।
- 55. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्मों के बारे में यह माना जाएगा कि उन्होंने सभी निबंधन एवं शर्तों को पढ़ लिया है और स्वीकार कर लिया है। निविदा की स्वीकृति/ अस्वीकृति के संबंध में मौखिक या लिखित किसी भी पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा। बोलीदाता एक अलग शीट में साझेदारों/निदेशकों आदि का विवरण देगा जो तकनीकी बोली के साथ संलग्न होगा।
- 56. बोलीदाता को उस स्थान के साथ फर्म/फर्मों के नाम का उल्लेख करना चाहिए जहां वे वर्तमान में उनके साथ व्यापार कर रहे हैं और जिसे निफ्ट के अधिकारियों द्वारा देखा जा सकता है। ऐसे संगठन/संगठनों द्वारा जारी संतोषजनक रिपोर्ट बोली के साथ संलग्न की जानी चाहिए।
- 57. ठेकेदार खुद के, उसके एजेंटों या नौकरों या श्रमिकों के कारण किसी भी कार्य या चूक के लिए संस्थान की किसी भी संपत्ति को होने वाली सभी क्षति / हानि की भरपाई करेगा। निफ्ट के पास ठेकेदार से खर्चे वसूल कर नुकसान या हानि की भरपाई करने का विकल्प सुरक्षित है।
- 58. संविदा की शर्तों के उल्लंघन के मामले में, ठेकेदार की प्रतिभूति जमा जब्त की जा सकती है।

- 59. संविदा के किसी अन्य खंड के तहत अधिकार के पूर्वाग्रह के बिना, निफ्ट ठेकेदार की ओर से शर्तों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में संविदा को रद्द कर सकता है और इस तरह के रद्दीकरण से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ठेकेदार से नुकसान की भरपाई करवा सकता है।
- 60. सेवा संविदा से उत्पन्न होने वाले विवाद, यदि कोई हो, को पार्टियों के बीच आपसी चर्चा से 30 दिनों के भीतर निपटाया जाएगा।
- 61. यदि किसी एक पक्ष द्वारा सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर पक्षों के बीच कोई सौहार्दपूर्ण समाधान या समझौता नहीं होता है, तो विवाद/मतभेदों को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार निफ्ट निदेशक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ के पास मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।
- 62. निबंधनों और शर्तों की व्याख्या के संबंध में निफ्ट का निर्णय अंतिम और अभिकरण पर बाध्यकारी होगा।
- 63. मध्यस्थता की कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होगी। मध्यस्थ सशब्द और उचित अधिनिर्णय देगा।
- 64. ऊपर बताए अनुसार मध्यस्थता की विफलता के मामले में, श्रीनगर/बडगाम (जम्मू और कश्मीर) में उपयुक्त अदालतों के पास मामले पर न्यायनिर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होगा।
- 65. ठेकेदार आहारिका श्रमिकों में किए गए किसी भी आवश्यक परिवर्तन को निफ्ट श्रीनगर के प्रशासन विभाग को उनके पुलिस सत्यापन और चिकित्सा रिपोर्ट के साथ सूचित करेगा।
- 66. ठेकेदार निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न विधिवत हस्ताक्षरित वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा।
- 67. निफ्ट में किसी को भी प्रभावित करने के लिए ठेकेदार की ओर से कोई भी कार्य उसे उसकी निविदा को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी बना देगा।
- 68. ठेकेदार द्वारा किसी भी संविदात्मक या सांविधिक दायित्वों के उल्लंघन की स्थिति में, वह इसके लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होगा। इसके अलावा, ठेकेदार के कृत्यों के कारण, किसी भी व्यक्ति, एजेंसी या सरकार द्वारा संस्थान के खिलाफ शुरू की गई किसी भी कार्रवाई, दावे, नुकसान, मुकदमे की स्थिति में ठेकेदार संस्थान को ऐसे दावों या नुकसान की भरपाई/क्षितिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। ठेकेदार के कृत्यों के परिणामस्वरूप, यदि संस्थान को किसी व्यक्ति, एजेंसी या सरकारी प्राधिकरण को किसी भी नुकसान का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, तो ठेकेदार को संस्थान को ऐसी राशि की प्रतिपूर्ति करने की आवश्यकता होगी या संस्थान के पास ठेकेदार को उसके बिलों का निपटान करते समय देय भुगतान से या संस्थान के पास पड़ी ठेकेदार की प्रतिभूति जमा राशि से ऐसी राशि की वसूली का अधिकार सुरक्षित है।
- 69. आहारिका कर्मियों को फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। ठेकेदार अपने कर्मचारियों को वर्दी के पर्याप्त सेट और जूतों के जोड़े उपलब्ध कराएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वे उन्हें हर समय पहनें और उन्हें ठीक से बनाए रखें।
- 70. बर्नर के रखरखाव सहित गैस सिलेंडरों को फिर से भरना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। संविदा की समाप्ति पर, निफ्ट द्वारा ठेकेदार को प्रदान की गई निफ्ट की वस्तुओं सहित आहारिका फर्नीचर / फिक्स्चर / उपकरण आदि को ठेकेदार वापस कर देगा।

- 71. ठेकेदार आहारिका परिसर का उपयोग किसी अन्य गतिविधि के लिए नहीं करेगा सिवाय उस उद्देश्य के जिसके लिए इसे प्रदान किया गया है।
- 72. संस्थान की आधिकारिक बैठकों/सम्मेलन/आतिथ्य बिलों के संबंध में ठेकेदार द्वारा दो प्रतियों में प्रस्तुत रसीद के आधार पर भुगतान जारी किया जाएगा। निफ्ट के नामित प्राधिकारी द्वारा उचित प्राधिकरण के बिना खाद्य पदार्थों की किसी भी आपूर्ति के लिए भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 73. यदि ठेकेदार छात्र से अग्रिम लेता है तो यह ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि यदि छात्र छुट्टी के दौरान या उसकी अवकाश अविध में आहारिका सुविधा का लाभ नहीं उठाता है तो उसे समायोजन/प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- 74. एल-1 का निर्धारण अनुलग्नक बी-I में उल्लिखित मदों के कुल न्यूनतम प्रभारों के आधार पर किया जाएगा। एक से अधिक एल-1 विक्रेताओं के मामले में, संविदा के आवंटन का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुभव, विश्वसनीयता और उपयुक्त समझे जाने वाले अन्य मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। निविदा प्रस्तुत करने के समय बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार समान सरकारी संगठन में मेस सेवाएं प्रदान करने का अधिकतम अनुभव रखने वाले निविदाकार को वरीयता दी जाएगी। समिति की सिफारिशें और निदेशक, निफ्ट श्रीनगर का निर्णय सभी मामलों में अंतिम होगा और बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।
- 75. निफ्ट प्राधिकरण एक आहारिका/मैस समिति का गठन करेंगे जिसमें अधिकारी, संकाय, कर्मचारी और छात्र शामिल होंगे। आहारिका निविदाकार को छात्र की सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुरूप मेनू, भोजन की आवृत्ति, भोजन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य और स्वच्छता सेवा और आहारिका के समय से संबंधित समिति के निर्देशों का पालन करना होगा।
- 76. निविदाकार आहारिका में विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ, स्नैक्स और भोज्य पदार्थों को समय-समय पर आहारिका / मेस समिति द्वारा अनुमोदित मूल्य / उद्धरणों पर उपलब्ध कराएगा। कृपया ध्यान रखा जाए विफलता के मामले में, इन सभी वस्तुओं को वैकल्पिक व्यवस्था करके ठेकेदार की ज़िम्मेदारी और उसके जोखिम पर परोसा जाएगा।
- 77. आहारिका सेवाओं में शाकाहारियों और मांसाहारी दोनों के लिए नवीन किस्म और संतुलित पोषण शामिल होना चाहिए। आहारिका सेवाओं की आवश्यकता में शामिल हैं: (ए) छात्रावास और दिन-छात्रों सिहत सभी छात्रों के लिए नाश्ता, दोपहर का भोजन और चाय/कॉफी के साथ दोपहर का नाश्ता, (बी) छात्रावासों में रहने वालों के लिए रात्रिभोज, (सी) अधिकारी/संकाय/कर्मचारियों, जिन्हें ऐसी सेवाओं की आवश्यकता है को नाश्ता/दोपहर का भोजन आदि।
- 78. निविदाकर्ता को बोली लगाने से पहले बुनियादी ढांचे को देखने के लिए परिसर और आहारिका परिसर का दौरा करना चाहिए। निविदाकर्ता को जगह और आधारभूत संरचना जैसे टेबल, कुर्सी, लाइट फिटिंग, पंखे, वाटर कूलर और पानी की आपूर्ति प्रदान की जाएगी। मासिक रखरखाव शुल्क के आधार पर आहारिका फर्नीचर, लाइट यानी बल्ब, ट्यूब दिए जाएंगे।
- 79. अवकाश (शनिवार, रिववार आदि) सिहत सभी दिनों में शाम का खाना, सुबह का नाश्ता, लड़िकयों और लड़िकों दोनों छात्रावासों में छात्रों/छात्राओं को परोसा जाएगा और संस्थान में सभी कार्य दिवसों पर दोपहर का भोजन बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के परोसा जाएगा।

- 80. निविदाकर्ता दैनिक परोसे जाने वाले मेनू सूची को उचित रजिस्टर में बनाए रखेगा और इस प्रयोजन के लिए अधिकृत आहारिका / मेस समिति के सदस्य द्वारा रोज़ इसे प्रमाणित किया जा सकता है।
- 81. छात्र की बीमारी, अस्पताल में भर्ती आदि के मामले में, निविदाकर्ता बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अधिकारियों की सिफारिशों के अनुसार छात्र के छात्रावास में टिफिन में भोजन की आपूर्ति करेगा।
- 82. निफ्ट आहारिका के प्रयोजन के लिए आहारिका में कच्चे माल सिहत कोई भी उपभोज्य या गैर-उपभोज्य वस्तु उपलब्ध नहीं कराएगा। ठेकेदार निफ्ट द्वारा प्रदान किए गए उपकरणों को अच्छी काम करने की स्थिति में (माल की संलग्न सूची के अनुसार) बनाए रखेगा और नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा। वह सेवाओं में रुकावट से बचने के लिए बिना किसी देरी के मरम्मत करेगा और मरम्मत की लागत पूरी तरह से ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी। संविदा की समाप्ति पर, निविदाकर्ता ऐसे सभी उपकरण/वस्तुओं को अच्छी कार्यशील स्थिति में निफ्ट को वापस सौंप देगा।
- 83. निफ्ट प्रत्येक सेमेस्टर में सामान्य छुट्टियों और छात्र-अवकाश की सूची निविदाकर्ता को छुट्टियों और अवकाशों के दौरान छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के आकलन के लिए और आहारिका सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रदान करेगा।
- 84. आहारिका निविदाकार के लिए निम्नलिखित स्वच्छता और सफाई के उपाय करना अनिवार्य होगा: (ए) स्टोर-रूम सिहत दिन में दो बार रसोई क्षेत्र की सफाई, (बी) दिन के अंत में गर्म पानी में बर्तन भिगोना, (सी) क्रॉकरी डिटर्जेंट का उपयोग कर गर्म पानी से धोएँ, (डी) सप्ताह में एक बार रेफ्रिजरेटर, बोतल-कूलर और वाटर कूलर की पूरी तरह से सफाई (ई) कीटनाशकों का आवधिक छिड़काव, (एफ) भोजन की गुणवत्ता (जी) स्वास्थ्य और स्वच्छता के नवीनतम मानकों को बनाए रखना (एच) दिन के अंत में डिटर्जेंट और पानी के साथ डाइनिंग टेबल की सफाई, (i) दिन के अंत में डिटर्जेंट के साथ वॉश बेसिन की पूरी तरह से सफाई। विफलता के मामले में, ठेकेदार स्वयं पर जम्मू और कश्मीर खाद्य सुरक्षा नियमों और इस संबंध में लागू अन्य विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
- 85. निविदाकर्ता आहारिका और निफ्ट परिसर में कोई सिगरेट, बीड़ी, पान, शराब आदि नहीं बेचेगा; यदि कोई इन गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो व्यक्ति को तुरंत परिसर छोड़ने के लिए कहा जाएगा और निविदाकर्ता इसके उल्लंघन के लिए संविदा को खोने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 86. निविदाकर्ता बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के शिक्षकों और कर्मचारियों को दिन में दो बार (सुबह और दोपहर में) चाय/कॉफी/कोल्ड ड्रिंक आदि परोसने की पर्याप्त व्यवस्था करेंगे। निविदाकार को सरकारी बैठकों और सम्मेलनों में नाश्ता/चाय/कॉफी/कोल्ड ड्रिंक आदि परोसने की भी योजना बनानी होगी।
- 87. निविदाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि या तो वह स्वयं या उसका कोई जिम्मेदार पर्यवेक्षक छात्रों के लिए नाश्ते/दोपहर के भोजन/रात्रिभोज सेवाओं के दौरान मौजूद रहे।
- 88. निफ्ट द्वारा प्रदान किए गए सामान के अलावा, निविदाकर्ता आहारिका / मेस सेवाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक अपने उपकरण, कुकर, हॉट बॉक्स, स्टीम बॉक्स, ट्रॉली, उपकरण, बर्तन, प्लेट, जग आदि पर्याप्त मात्रा में लाएंगे।

- 89. निविदाकर्ता यह वचन देगा कि उसके कर्मचारियों द्वारा चोरी सिहत किसी भी प्रकार की भूल या चूक का कार्य एकमात्र उसकी जिम्मेदारी होगी और वह व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से अपने कर्मचारियों के कारण होने वाली किसी भी हानि या क्षति या चोरी के लिए संस्थान को तुरंत क्षतिपूर्ति करेगा।
- 90. निविदाकर्ता को निफ्ट के साथ संविदा के उचित निष्पादन के लिए एक समझौता करना होगा। इसे आवश्यकतानुसार चिपकने वाले टिकटों के साथ मुद्रित किया जाना चाहिए और बिना किसी असफलता के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या शांति न्यायमूर्ति या नोटरी पब्लिक के सामने हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
- 91. गर्मी/शीतकालीन अवकाश के दौरान, निफ्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों के सदस्यों का भोजन-प्रबंधन पूरा करने के लिए भोजन-प्रबंधक उचित संख्या में रसोइयों और वेटरों की प्रतिनियुक्ति करेगा।
- 92. निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत निविदा, निविदा खुलने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी।
- 93. सभी आधिकारिक बैठकों के लिए भोजन-प्रबंधक निफ्ट प्रबंधन को चाय/कॉफी/भोजन परोसने के लिए कम से कम 4 दर्जन अच्छी गुणवत्ता वाले क्रॉकरी सेट का रखरखाव करेगा। भोजन-प्रबंधक को ऐसी बैठकों के दौरान कम से कम 2 वेटरों की प्रतिनियुक्ति करनी चाहिए।
- 94. जब भी निफ्ट के गेस्ट हाउस में कोई अधिभोग होगा और जब भी वह कार्यात्मक होगा, भोजन-प्रबंधकों में से एक व्यक्ति गेस्ट हाउस में उपस्थित होगा।
- 95. निविदाकर्ता निफ्ट प्राधिकरण की पूर्व अनुमित के बिना आहारिका को बंद नहीं रखेगा। ऐसी किसी भी घटना को संविदा के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और जैसा कि निफ़्ट उचित समझे दंड सिहत उपयुक्त कार्रवाई निफ्ट द्वारा की जाएगी।
- 96. व्यवस्थापक और शैक्षणिक ब्लॉकों में चाय/पेय/जलपान की सुविधा के लिए ठेकेदार पर्याप्त संख्या में कार्यकर्ता/कर्मचारी उपलब्ध कराएगा।
- 97. ठेकेदार परिसर में विभिन्न बैठकों/कार्यों आदि के लिए पर्याप्त संख्या में श्रमिकों/कर्मचारियों के लिए भोजन-प्रबन्धक उपलब्ध कराएगा।
- 98. विक्रेता संविदा-बी-l में सूचीबद्ध वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं को नहीं बेचेंगे क्योंकि निफ्ट प्रबंधन छात्रों को मिल्क पार्लर या नेस्टी कियोस्क आदि जैसी अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ख. वित्तीय बोलियों की शर्तें:

- 1. आहारिका सेवाएं प्रदान करने के लिए संविदा निविदा को अंतिम रूप देते समय बी-1 में मेनू शुल्क के लिए उद्धृत न्यूनतम दर (कुल योग) के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। अनुलग्नक बी-॥ और बी-॥ में वस्तुएँ आपसी समझौते पर निफट के विवेक पर दी जाएंगी।
- 2. ठेकेदार को अनुलग्नक बी-I, बी-II और बी-III की दर अनिवार्य रूप से उद्धृत करनी चाहिए और संविदा ए IV में दिए गए ब्रांड विनिर्देश का पालन करना चाहिए।

3. वित्तीय बोली में किसी प्रकार की गणना एवं कुल योग की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यदि कोई गलती पाई जाती है तो सक्षम प्राधिकारी को बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण विवेक होगा।

राष्ट्रीय फ़ैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर कार्य का नाम:निफ़्ट श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में आहारिका/मेस चलाने के लिए

तकनीकी बोली

(तकनीकी बोली को अलग सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए और उस पर "तकनीकी बोली" लिखा होना चाहिए).

1.

क्र.सं.	वर्णन	बोलीदाता द्वारा भरा जाए
1	निविदाकार का नाम	
2	निविदा दस्तावेज़ लागत का विवरण	
		(₹)
		ड्राफ्ट सं. के साथ

2. संबंधित क्षेत्र में अनुभव का विवरण, संगठनों से मिले कम से कम पिछले दो वर्षों के अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें):

क्र.सं.	अवधि		प्रबंधित किए गए/प्रबंधित किए जा रहे ग्राहकों की संख्या**
	से	तक	

^{**} संबन्धित अभिकरण से प्राप्त प्रमाण-पत्रों को भी संलग्न किया जाए।

जाँचबिन्दु संलग्नक-'ए-॥'

क्र. सं.	विवरण	'हाँ' या नहीं बताएं	पृष्ठ सं.
1.	फर्म के निगमन की तिथि। बताएं कि क्या यह साझेदारी है / या स्वामित्व(प्रमाण के लिए एक	, ,	
	प्रमाणित प्रति संलग्न करें)(इस मामले में साझेदार का नाम निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। खंड 15		
	के अनुसार साझेदारी/कंपनी का विवरण अलग से संलग्न करें।		
2.	क्या "तकनीकी' और 'मूल्य' बोलियां अलग-अलग प्रस्तुत की गई हैं और संबंधित		
	लिफाफों पर ठीक से लिखा हुआ है।		
3.	क्या बयाना जमा के लिए बोली सुरक्षा घोषणा जमा की गई		
4.	दुकान की स्थापना का वैध प्रमाण-पत्र		
5.	क्या सरकारी क्षेत्र/पीएसयू/शिक्षा संस्थानों/निजी संस्थानों में आहारिका/मेस चलाने के लिए		
	वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 के अनुभव के समर्थन में प्रमाण पत्र/दस्तावेज,		
	संगठन की सूची (सरकारी/पीएसयू) के साथ /प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनियां/संगठन जहां ठेकेदार		
	वर्तमान में मेस/आहारिका सेवाएं प्रदान/प्रदान कर रहा है, संलग्न है। (कृपया फॉर्म-I और फॉर्म-II		
	के विवरण के साथ इसकी सत्यापित प्रतियां संलग्न करें)		
6.	क्या नियुक्त सभी कर्मचारियों को केंद्र सरकार की न्यूनतम मजदूरी देने के लिए सहमत हैं		
7.	क्या वैध पैन कार्ड की प्रति संलग्न है।		
8.	क्या जीएसटीआईएन की प्रति संलग्न है।		
9.	क्या आईटीआर (वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20) की प्रति सीए द्वारा विधिवत		
	प्रमाणित, संलग्न है।		
10.	क्या एफएसएसएआई के साथ पंजीकृत है? FSSAI नंबर की प्रति		
11.	निविदाकर्ता का वार्षिक कारोबार पिछले 02 वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए		
	प्रति वर्ष न्यूनतम रु.20 लाख था।		
12.	क्या कार्यादेश स्वीकार करने पर क्रॉकरी, बर्तन, (आहारिका को सुचारू रूप से चलाने के लिए		
	आवश्यक कटलरी आदि) 15 दिनों के भीतर व्यवस्था करने के लिए सहमत और सक्षम हैं।		
13.	पिछले दो आकलन वर्षों के लिए सीए द्वारा विधिवत प्रमाणित अंतिम खातों की प्रति (संलग्न की		
	जाए) 2018-19 और 2019-20 (सीए प्रमाणित लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित)		
14.	क्या फर्म/कंपनी को कभी किसी सरकारी/गैर-सरकारी एजेंसी द्वारा काली सूची में डाला गया है।		
15.	पीएफ और ईएसआई पंजीकरण (यदि लागू न हो तो कंपनी के पत्र-शीर्ष पर दिया जाए)		
16.	क्या निफ्ट, श्रीनगर को 5000.00 रुपये का मासिक रखरखाव शुल्क देने को तैयार हैं		
17.	फर्म एजेंसियों का श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में पंजीकृत कार्यालय के साथ-साथ शाखा कार्यालय		
	का पता प्रमाण		
18.	निविदा के निबंधन और शर्तों की स्वीकृति के प्रतीक में निविदा दस्तावेज के निबंधन और शर्तों		
	और प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म की विधिवत मुहर के साथ हस्ताक्षरित प्रति		
<u> </u>	(हाँ/नही)		

नोट: (1) प्रासंगिक श्रेणी के एफएसएसएआई प्रमाणपत्रों के बिना बोली सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएगी

		•
व	चन	बिध

(एजेंसी की मुहर के साथ निविदाकर्ता के पूर्ण हस्ताक्षर)

निदेशक

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ़्ट परिसर, रंगरेट, श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर

संदर्भ-आपकी निविदा संख्या

महोदय/महोदया,

- 1. मैं/हम अधोहस्ताक्षरी (इसमें इसके बाद "ठेकेदार" के रूप में जाने जाते हैं) एतद्वारा रंगरेट में निफ्ट श्रीनगर में आहारिका चलाने के लिए संविदा प्रदान करने के लिए आवेदन करते हैं।
- 2. मैंने/हमने संदर्भाधीन विषय के लिए निविदा आमंत्रित करने के आपकी सूचना में आपके द्वारा सूचीबद्ध सभी निबंधनों और शर्तों और मदों की अनुसूची को पढ़ लिया है।
- 3. मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने सभी निबंधनों और शर्तों को समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए मेरी/हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता हूं/हैं। अनुसूची में किसी भी विसंगति/विवाद या गलत नामकरण के मामले में, निफ्ट का निर्णय अंतिम होगा।
- 4. मैं/हम संदर्भ के तहत निविदा आमंत्रित करने की आपकी सूचना के साथ मदों की अनुसूची में सूचीबद्ध सामग्री प्रदान करने के लिए मेरी/हमारी प्रतिबद्धता की भी पृष्टि करते हैं।
- 5. मैं/हम इसके साथ के प्रधान/निदेशक/प्रबंधक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करते हैं।
- 6. मैं/हम समझते हैं िक मुझे/हमें "संविदा" पर हस्ताक्षर करने से पहले मुझे/हमें अनुमानित संविदा मूल्य (वापसी योग्य) का 3% प्रतिभूति जमा के रूप में जमा करना होगा। इस जमा पर कोई ब्याज नहीं लगेगा और देय राशि, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद संविदा की समाप्ति पर वापस किया जाएगा।
- 7. यदि मुझे/हमें संविदा दी जाती है, तो मैं/हम संविदा प्रदान करने वाले पत्र की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर (निर्धारित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर) एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।

निविदाकार के हस्ताक्षर और तारीख रबड़ मुहर के साथ

बोली-सुरक्षा घोषणा फ़ॉर्म

दिनांक: [दिनांक भरें (दिन, माह और वर्ष के रूप में)]
बोली सं.: []
राष्ट्रीय फ़ैशन प्रौद्योगिकी संस्थान वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार सिडको इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स रंगरेट, श्रीनगर-191132 जम्मू और कश्मीर
मैं/हम अधोहस्ताक्षर और घोषणा करते हैं कि:
मैं/हम समझते हैं कि आपकी शर्तों के अनुसार बोलियों को एक बोली-सुरक्षित घोषणा द्वारा समर्थित होना चाहिए।
मैं/हम स्वीकार करते हैं कि यदि हम नीचे सूचीबद्ध बोली-शर्तों के तहत अपने दायित्व का उल्लंघन करते हैं तो हम निफ्ट श्रीनगर के साथ किसी भी संविदा में 3 साल की अवधि तक बोली लगाने के लिए पात्र होने से स्वतः निलंबित हो जाएंगे। शर्तें निम्न हैं:
(क) बोली पत्र में निर्दिष्ट बोली वैधता की अवधि में अपनी बोली वापस लेने से; या
(ख) बोली की वैधता की अविध में निफ्ट श्रीनगर द्वारा हमारी बोली की स्वीकृति के बारे में अधिसूचित किए जाने पर, (1) आवश्यक होने पर संविदा को निष्पादित करने में विफल होने या मना करने पर, या (2) निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने में विफल होने या मना करने पर।
हस्ताक्षर
नाम दिनांक दिन <u>,</u> [हस्ताक्षर करने की तिथि डालें]
कंपनी की मुहर(जहाँ भी उचित हो)
[टिप्पणी: एक संयुक्त उद्यम के मामले में, बोली जमा करने वाले संयुक्त उद्यम के सभी भागीदारों के नाम पर बोली-सुरक्षा घोषणा होनी चाहिए।]

<u>वचनबंध</u>

मैं/हम	सत्यनिष्ठा से यह कहते हैं कि मुझे/हमें अब तक किसी भी संस्थान/कार्यालय
द्वारा जिसमें मैंने/हमने आहारिका में काम ी	किया/चलाया है कालीसूचित नहीं किया गया है
	ठेकेदार के हस्ताक्षर
	(एजेंसी की मुहर के साथ निविदाकर्ता के पूर्ण हस्ताक्षर)
दिनांक:	
स्थान:	

उपभोग्य सामग्रियों के अनुमेय ब्रांड

<u> </u>				
वस्तुएँ	ब्रांड			
नमक	आयोडीन युक्त नमक जैसे टाटा, अन्नपूर्णा, नेचर फ्रेश			
मसाले	एमडीएच, एमटीआर, कंवल या समकक्ष गुणवत्ता वाले ब्रांड या एगमार्क ब्रांड			
कैचप	मैगी, किसान, हेन्ज़ो			
रिफाइंड तेल	जैसे कि सनड्रॉप, नेचर फ्रेश, फॉर्च्यून या समकक्ष			
अचार	मदर्स/प्रिययार/टॉप्स/नीलोन्स			
आटा	आशीर्वाद, पिल्सबरी, नेचर फ्रेश/शक्ति भोग			
मक्खन	अमूल, ब्रिटानिया, मदर डेयरी, हटसन, सुपर/सरस			
ब्रैड	हार्वेस्ट/ब्रिटानिया मेक / टॉप एंड टाउन / मॉडर्न / एवोन			
जैम	किसान, नेफेडो			
दूध	वरका, सुपर/अमूल/सरस			
पनीर	अमूल/मदर डेयरी/सुपर			
चाय	ब्रुक बॉन्ड, लिप्टन, टाटा			
कॉफी	नेस्कैफे, रिच, ब्रू			
बिस्कुट	ब्रिटानिया, पार्ले, गुड डे, यूनीबिक, डाइजेस्टिव आदि।			
आइस क्रीम, लस्सी, दही	मदर डेयरी, अमूल, क्वालिटी, क्रीम बेल - सभी किस्में, टॉप एंड टाउन, वाडीलाल			
चिप्स	हल्दीराम/बीकानेर या कोई अच्छा ब्रांड			
मिनरल वॉटर	किनले/बिसलेरी/एक्वाफिना/रोहतांग या आईएसआई चिह्नित			
बेसन, दाल	राजधानी, शक्तिभोग या एगमार्क ब्रांड			
चावल	बासमती, इंडिया गेट या एगमार्क ब्रांड			
कोल्ड र्ड्रिक्स	पेप्सी, कोक, थम्प्स अप या कोई अच्छा ब्रांड आदि।			
जूस	रियल, ट्रॉपिकाना			
नींबू पानी	लेमन, किसान, हैलो आदि।			
	ı			

प्रति छात्र 30 दिनों के लिए नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के लिए निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत की जाने वाली दरें

वस	तुएँ	प्रति छात्र 30 दिनों के लिए निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत दरें (सभी करों और जीएसटी सहित) (रुपये में)।
दोपहर का भोजन	 चाय (लिप्टन 100 मिली) कॉर्नफ्लेक्स + दूध (150 मिली) निम्नलिखित में से कोई भी रोटेशन के आधार पर। पोहा+ 2 ब्रेड टोस्ट मक्खन/जैम के साथ। इडली + चटनी पुरी —भाजी प्याज उत्तपम + चटनी आलू परांठा आमलेट(2अंडे) +2टुकड़ा भुनी हुई ब्रेड। असीमित चावल 	
(सभी कार्य दिवसों में रंगरेथ में निफ्ट परिसर में सेवा दी जाएगी	 असीमित चपाती (घी के साथ और बिना), असीमित दाल, एक असीमित करी, नींबू का सलाद और निम्नलिखित में से कोई तीन प्याज, खीरा, टमाटर, गाजर, चुकंदर/दही/रायता अचार, पापड़ 	
रात का खाना	 असीमित चावल असीमित चपाती (घी के साथ और बिना), असीमित दाल, एक असीमित करी, पनीर (70 ग्राम) और चिकन (1/4वां) सप्ताह में एक बार परोसें। नींबू और निम्नलिखित में से कोई तीन प्याज, खीरा, टमाटर, गाजर, 	

	चुकंदर/दही/रायता से युक्त सलाद	
	7. अचार,	
	8. पापड़	
सप्ताह में कम से कम एक बार परोसी जाने वाली एक मीठी डिश		
प्रति छात्र 30 दिनों के लिए कुल योग (सभी करों और जीएसटी सहित)।		

^{*}किसी अन्य रूप में बोली गई बोली जैसे प्रतिशत आदि को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

आहारिका/मेस समिति के छात्र द्वारा मेनू बदला जा सकता है और ठेकेदार/आहारिका प्रबंधक को अग्रिम रूप से सूचित करेगा और ठेकेदार आहारिका प्रबंधक मेनू का पालन करने के लिए बाध्य है। छात्रावास सामान्यत: 10 माह के लिए ही खुला रहता है।

अन्य वस्तुओं को ठेकेदार द्वारा पूर्व अनुमोदन और निफ्ट प्रबंधन द्वारा अनुमोदित दरों पर बेचा जा सकता है। पैकेज्ड सामान एमआरपी से ज्यादा पर नहीं बिकना चाहिए। साथ ही, विक्रेता प्लास्टिक के उपयोग से बचने के लिए पुन: उपयोग योग्य / पुन: प्रयोज्य प्लेट और कप का उपयोग करेंगे।

उपरोक्त के अलावा, ठेकेदार द्वारा कुछ अन्य मदों को भी उद्धृत किया जा सकता है। (जब-जब आवश्यक हो) इन वस्तुओं की आपूर्ति विशिष्ट आदेश के रूप में की जानी चाहिए।

क्र. सं.	विवरण	निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत दर रुपये में। (सभी करों सहित और जीएसटी)
	चाय के साथ पेट भर नाश्ता	. ,
	भुना हुआ काजू (15 ग्राम)	
	• 2- गुलाब जामुन/रसगुल्ला/2 काजू बर्फी	
1	• पकोड़ा (पनीर/गोभी/सब्जी (100 ग्राम) आदि)	
	• पेस्ट्री (ब्लैकफ़ॉरेस्ट/चॉकलेट/वेनिला/स्ट्रॉबेरी)	
	• कांडवी/ढोकला	
	• वेफर्स (अंकल चिप्स, लेज़ आदि)	
	• जूस/चाय/कॉफी	
	• मिश्रित बिस्कुट	
	नाश्ता	
	• पकोड़ा (पनीर/गोभी/सब्जी (100 ग्राम) आदि)	
2.	• वेफर्स (अंकल चिप्स, लेज़ आदि)	
	• चाय/कॉफी/शीतल पेय	
	• मिश्रित बिस्कुट	
	शाकाहारी आइटम/नाश्ता/दोपहर का भोजन/रात का खाना (बुफे) (असीमित)	
	• दो सब्जियां (एक मौसमी सब्जी (200 ग्राम)	
	• एक शाही पनीर/मलाई कोफ्ता/मशरूम/पनीर मटर (200	
	ग्राम) आदि।	
	• दाल फ्राई (200 ग्राम)	
	• पुलाव/जीरा चावल (200 ग्राम)	
	• चपाती/तंदूरी, रोटी/नान/पुरी(4 नं.)	
	• सलाद	
	• पापड़	
	• अचार	
	• रायता/सादा दही/दही भल्ला (100 ग्राम)	
	• मिष्ठान्न	

• मिनरल वाटर की बोतल

*िकसी अन्य रूप में बोली गई बोली जैसे प्रतिशत आदि को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

नोट: पैकेज्ड सामान एमआरपी से ज्यादा नहीं बेचा जाना चाहिए। यदि कोई बोलीदाता अधिक राशि उद्धृत कर रहा है, तो ऊपर के रूप में निर्धारित दरें मान्य होंगी। साथ ही, विक्रेता प्लास्टिक के उपयोग से बचने के लिए पुन: उपयोग योग्य / पुन: प्रयोज्य प्लेट और कप का उपयोग करेंगे। ऊपर बताई गई वस्तुएँ केवल आहारिका में ही बिकेंगी। निफ्ट प्रबंधन श्रीनगर की मंजूरी से ही किसी भी सामान की बिक्री की अनुमति होगी।

निविदाकार के हस्ताक्षर और तारीख रबर मुहर के साथ

इसके अलावा, ठेकेदार द्वारा कुछ नॉन-वेज आइटम भी उद्धृत किए जा सकते हैं (जब-जब आवश्यक हो)।

क्र. सं.	विवरण	निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत दर रुपये में। (सभी करों सहित और
		जीएसटी)
1.	बटर चिकन (1/2)	
2.	तंदूरी चिकन (1/2)	
3.	कबाब (मटन) 1 सं.	
4.	शामी कबाब 1 सं.	
5.	रिस्ता (ग्रेवी के साथ 1 पीस)	
6.	गोश्तब (ग्रेवी के साथ 1 पीस)	
7.	रोगन जोश (ग्रेवी के साथ 1 पीस)	
8.	तली हुई मछली (250 ग्राम)	
9.	चिकन बिरयानी (पूर्ण/आधी)	
10.	तंदूरी सादा नान 01सं.	
11.	तंदूरी मक्खन नान 01 सं.	
12.	मिठाई- खीर/हलवा (01 छोटी कटोरी)	

^{*}किसी अन्य रूप में बोली गई बोली जैसे प्रतिशत आदि को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर और तारीख रबर मुहर के साथ

वित्तीय बोली

विक्रेता वित्तीय बोली भरने से पहले ध्यान दें कि विक्रेता का चयन निम्नलिखित के आधार पर किया जा रहा है:

- 1. यह कि विक्रेता निफ्ट द्वारा निर्धारित दरों पर वांछित वस्तु/वस्तु उपलब्ध कराने के लिए सहमत है।
- 2. यह कि विक्रेता निविदा में सूचीबद्ध आहारिका की सुविधा और वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए सहमत है।
- 3. कि विक्रेता किसी भी समय दरों में वृद्धि नहीं करेगा (उनके संशोधन पर एमआरपी मदों के मामले को छोड़कर)।
- 4. कि विक्रेता खपत के आधार पर बिजली शुल्क वहन करने के लिए तैयार है।

उपरोक्त को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप मैं/हम श्र <u>ी</u>	संविदा बी-I के
अनुसार आहारिका के लिए प्रभार उद्धृत करते हैं:-	

टिप्पणी

- 1. संविदा बी-। में बोलीदाता द्वारा उद्धृत कुल योग के आधार पर प्रदान की जाएगी।
- 2. प्रदान की जाने वाली दरें उपरोक्त तालिका संविदा बी-। और बी-॥ और बी-॥ के अनुसार बनाई जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो एजेंसी/फर्म अलग शीट पर विवरण प्रदान कर सकती है।
- 3. संविदा बी-॥ और बी-॥ में दिए आइटम भी संविदा बी-। के एल 1 को बातचीत दरों पर आवंटित किए जाएंगे को ताकि संविदा बी-॥ और बी-॥ के एल 1 को बराबर लाया जा सके।
- 4. टीडीएस (आयकर/जीएसटी) मानदंडों के अनुसार लागू होगा और ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।
- 5. एल1 का निर्धारण अनुलग्नक बी-। में दी गई कुल राशि के आधार पर किया जाएगा। न्यूनतम दर कोट करने वाले निविदाकार को एल-1 माना जाएगा। यदि दो या दो से अधिक निविदाकार समान दरों/समान लाभ मार्जिन को उद्धृत करते हैं, तो निविदा प्रस्तुत करने के समय बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार समान सरकारी संगठन में मेस सेवाएं प्रदान करने का अधिकतम अनुभव रखने वाले निविदाकार को वरीयता दी जाएगी। समिति की सिफारिशें और निदेशक, निफ्ट श्रीनगर का निर्णय सभी मामलों में अंतिम होगा और बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर और तिथि रबड़ की मुहर के साथ

पिछले 3 वर्ष के ग्राहकों का विवरण

क्र. सं.	फर्म का नाम व पता		, परिनियोजित कामगारों की	संविदा की		संविदा का कुल मूल्य (रुपये)	अनुभव के कुल वर्ष		की
		पद व फोन न.	कामगारा का संख्या	अवाव	राशि (रुपये)	मूल्य (रुपय)	99	क्र.सं.	વગ
				से- तक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

फर्म के वर्तमान/मौजूदा ग्राहकों का विवरण

क्र. सं.	फर्म का नाम व पता	प्रभारी अधिकारी का नाम, पद व फोन न.	परिनियोजित कामगारोंकी संख्या	संविदा की अवधि से- तक	मासिक संविदा राशि (रुपये)	संविदा का कुल मूल्य (रुपये)	अनुभव के कुल वर्ष	संलग्न प्रमाणों की क्र.सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9



राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संसथान वस्त्र मंत्रालय,भारत सरकार सिडको,इलेक्ट्रॉनिक काम्प्लेक्स रंगरेट श्रीनगर 191132,जम्मू कश्मीर National Institute of Fashion Technology Ministry of Textiles, Govt. of India SIDCO Electronic Complex Rangreth, Srinagar-191132 J&K

16309(2)/NIFT/Sgr/Admin/Canteen Services/2018/451

E-TENDER NOTICE FOR PROVIDING CANTEEN / MESS SERVICES

National Institute of Fashion Technology (NIFT), Srinagar invites e-tenders for providing **CANTEEN/ MESS SERVICES** for its Campus & Hostel/s.

Time schedule for tender process:

Date of tender notification	22-12-2020		
Last date for receipt of duly filled in tenders (Online)	14-01-2021at 15:00 hrs		
Date and time of the opening of Technical bid of tenders	18-01-2021 at 14:30 hrs		
Date and time of the opening of Financial bid of tenders	To be informed to technically qualified bidders		
Earnest Money Deposit	NIL Bid Security Declaration should be kept by the Bidder in the Bid Documents		

For applying online, the Firm should get itself registered at https://nifttenders.eproc.in by paying

- Annual Registration Charges of Rs. 2000 + applicable taxes.
- Bid Processing Fee charges RS. 1164 + applicable taxes.

Note: The tenderer must submit duly self attested copies of all the relevant documents along with tender documents (Only Technical bid) in physical form also (which are being submitted with online tender) along with required Bid Security Declaration towards EMD on or before the last date of the tender except PRICE BID. Hard copies of Technical Bid along with Bid Security Declaration should reach to the Office of the Director, NIFT Srinagar, SIDCO Electronic Complex Rangreth, Srinagar – 191132 (J&K) by or before 14-01-2021 at 15:00 hrs. Tender documents of contractors not producing proof of possessing above mentioned documents are liable to be rejected without any notice. In case of any clarification, the bidders can send their queries at estates.srinagar@nift.ac.in or contact at +91-7006149501.

Director

Dated: 22-12-2020

National Institute of Fashion Technology, Srinagar

1. INTRODUCTION:

National Institute of Fashion Technology (NIFT) was set up by the Ministry of Textiles, Government of India in 1986 which has been accorded statutory status under the Act of Parliament in 2006 (NIFT Act 2006) for the promotion and development of education and research in field of Fashion Technology. NIFT provides fashion business education across the country through its network of 16 centres. It provides four years under graduate (UG) program in design and technology, two years post graduate (PG) program in design, fashion management & fashion technology and short duration education program to address the specialized needs of professional and students in the field of fashion. NIFT has its head office at New Delhi with its campuses located at Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Chennai, Gandhinagar, Hyderabad, Jodhpur, Kangra, Kannur, Kolkata, Mumbai, New Delhi, Patna, Raibareli, Shillong and Srinagar.

NIFT, Srinagar, J&K were established in the year 2016 with undergraduate courses and presently running its campus at Rangreth, Srinagar (J&K).

2. NOTICE INVITING TENDER:

NIFT Srinagar Campus invites e-tenders under "Two Bid System" for providing Canteen/Mess Services in campus for 162 students at the NIFT Campus & Hostel/s. In addition to that, other 40 staff members may also avail the canteen/mess facility in the campus. "TWO BID SYSTEM" shall be followed for this tender. Tenderer should take due care to submit the tender in accordance with requirement in sealed covers. Bids received shall be evaluated as per the Criteria prescribed in the tender document. NIFT will not entertain any modifications after opening of bids and bids not conforming to tender conditions shall be liable to be rejected. Therefore, bidders are advised to submit their bids complete in all respects as per requirement of tender document specifying their Acceptance to all the clauses of Bid Evaluation Criteria, General terms and conditions and compliance to the Scope of Work requirement etc. The interested firms should apply online and submit their tender and the bids along with scanned copies of all the relevant certificates, documents, etc. in support of their bids.

Submission of Bids

- a. The interested agencies/contractors should apply online and submit their tender along with scanned copies of all the relevant certificates, documents, etc. in support of their technical & price bids all duly signed on the https://nifttenders.eproc.in till 14-01-2021 at 15:00 hrs. E-Tender document is also available for viewing on the "tenders" link of the NIFT Portal & NIFT website i.e. https://nifttenders.eproc.in & https://www.nift.ac.in/srinagar/
- b. Applications to this tender will be accepted only in online mode through the website https://nifttenders.eproc.in.
- c. For applying online, the Firm should get itself registered at https://nifttenders.eproc.in by paying
 - Annual Registration Charges of Rs. 2000 + applicable taxes
 - Bid Processing Fee charges of Rs.1164 + applicable taxes.
- d. The interested agencies/contractors may contact C1 India for online registration at following email Id's: sandeep.bhandari@c1india.com and niftsupport@c1india.com or Tel: +91-124-4302033 / 36 / 37 and mentioning their Company Name, Address and User ID for Approval of Registration, and Tender ID and Tender Title for Approval of Bid Processing Fees.
- e. The Firm should ensure that it complies with the requirements as per works before applying for.

f. The interested firms are advised to read carefully the entire tender document before submitting their tender and the tender documents not received online in prescribed format and/or are found incomplete in any respect shall be summarily rejected.

Basic Requirements

The basic requirements for registration and applying for tender online are as under:

- Operating System should be windows 7 or above.
- > Java version: Java 8 updates 25.
- Use Internet Explorer 11 version.
- All java add-ons must be enabled in the system.
- Always use Class III B Digital Signature Certificates (DSC) having Signing and Encryption both. For online procedure tenderer may contact on following Helpdesk officers:
- Email: niftsupport@c1india.com , sandeep.bhandari@c1india.com
- Phone: 0124-4302033/36/37

Scope of Work:

1. NIFT's Requirements

Contractors having experience of at least 03 years running <u>Canteen/Mess/Food catering business</u> in a Govt. Sector/PSUs/Educational Institutions including schools & colleges/Private Institutions of repute, who can cater to the needs of Students and Officers/Staff as details given in **Annexure B-I & B-II** of this tender document are eligible to apply.

The vendor selected through this tendering process will have to cater canteen within 15 days from the date of work order and must provide Canteen/Mess Services. Presently there are approx. 162 students, & 40 staff members on Campus. Further 33 students approx. are staying in Hostel. It is expected that majority of above students/ staff will avail canteen services. There is absolutely no commitment of total number of customers for canteen services by NIFT.

As of now, NIFT Campus & Hostel is located at Rangreth, Srinagar. Location of Campus and/or Hostel/s may change during contract. Contractor must continue service in case of change of location without any additional cost.

The contractor will submit bills for catering services provided to the students residing in hostel on monthly basis to NIFT for reimbursement of payment. Regarding other services/sales the contractor shall collect the payment directly from the students (non-hostellers)/staff/faculty/officers for canteen services.

The NIFT will pay only those bills which will be ordered by the NIFT Administration by way of written order to provide High Tea/Tea/Cold Drinks/Snacks etc. for official purpose as and when required. Canteen arrangement and services shall be provided by the contractor during regular office hours in the academic & admin blocks, Official meetings, which may include tea & snacks, High Tea/Tea/Cold drinks/Juices etc.

I. Facilities Provided by NIFT Srinagar (J&K)

NIFT Srinagar has exclusive space to provide canteen services along with kitchen and dining facilities. The premises can be inspected during any working day from 10.00 AM to 05.00 PM under prior intimation to Estates Department. Charges of Electricity on actual usage basis will be borne by the contractor. However, water shall be provided by the Institute as part of maintenance charges paid by the vendor.

Raw materials, food articles, cooking fuel / gas cylinder, cleaning/washing materials/tools / crockery and Manpower shall have to be arranged by the contractor at his/her/their own cost. NIFT shall not provide accommodation for manpower engaged by the contractor.

II. Technical and Qualifying Requirements:

- 1. Shop Establishment Valid Certificate.
- 2. Contractor should have valid FSSAI certificate for running Canteen/Mess Services.
- 3.Attach Experience certificate of last 3 financial years i.e. 2017-18, 2018-19, 2019-20 along with technical bid.
- 4.Contractor should have minimum turnover of Rs. 20 Lakhs each year in the last two years (Please attach audited balance sheet F.Y. 2018-19 and 2019-20 audited/unaudited C.A certified along with technical bid).
- 5. Copy of ITR (FY 2017-18, FY 2018-19, and FY 2019-20) duly attested by C.A.
- 6. Undertaking for not ever been blacklisted by the Govt. /Non-Govt. Agency as per format provided in the tender document.
- 7. The Contractor should have valid <u>PAN number</u> either in the name of proprietor or firm. (Copy should be enclosed along with technical bid).
- 8. The contractor must have a Branch Office at Srinagar/Budgam for proper supervision, reasonable access in case of day to day requirement, for better coordination with the canteen/ mess firm at the site etc. In case the firm does not have an office in Srinagar, the bidder must give an undertaking that the office shall be opened in Srinagar within one month of allotment of contract.
- 9. The Technical Bid without complete information and supporting documents shall not be considered for evaluation of the Financial Bid.
- 10. The Contractor must fill the **Technical Bid form, Annexure B-I, B-II & B-III** and provide supporting document mentioned above.
- 11. Copy of GST registration of the Firm/Agency.
- 12. Copies of GST return for the financial year 2019-20
- 13. Copy of PAN Card
- 14. Address proof of Registered Office as well as Branch office at Srinagar, J&K of the firm/agencies.
- 15. All columns must be filled compulsorily.
- 16. Bid Security Declaration towards EMD.

Based on information provided in the technical bid, the NIFT may verify the details, cross examine, visit the premises and constitute a Committee to recommend the authorities to shortlist the bidders. Price Bids of only shortlisted bidders will be opened for consideration.

The tenderers shall comply with all the requirements under qualifying criteria. Proofs shall be attached with Technical Bid, failing of any of the criteria under Technical Bid will disqualify for opening of price bid.

Quality & Hygiene to be provided by the Contractor:

- 1. The contractor shall procure all food and other items to be sold in the canteen of good quality to the satisfaction of the Canteen/Mess Committee constituted by the Institute.
 - The Canteen/Mess Committee shall have the right to change any brand of material supplied/used for cooking, provided the cost of the same does not exceed the cost of specified brand.
- 2. The food shall be cooked, stored and served under hygienic conditions. The contractor shall ensure that only freshly cooked food is served, and the stale is not recycled. Stale food shall be removed from Canteen premises as soon as possible. Un-refrigerated cooked food, not consumed within three hours in summer months and six hours in winter months, shall deemed to be stale and unfit for consumption.
- 3. The food preparation shall be wholesome and shall generally cater to the taste of the employees/students.

- 4. The oil that remains from deep frying at the end of the day shall have to be disposed of and shall not be recycled for the purpose of cooking again.
- 5. The food shall be cooked and served in clean utensils and no laxity shall be permitted in this regard.
- 6. The utensils shall have to be maintained sparkling clean at all time.
- 7. All utensils shall be sterilized each morning before serving any item.
- 8. The contractor shall always pay special attention to maintain the Canteen neat and tidy. For this purpose, the Canteen shall be cleaned thoroughly after each meal regularly by the employees of the contractor.
- 9. The contractor shall ensure that only hot food is served to the students/employees. Complaint, if any, in this regard shall be viewed seriously.
- 10. The contractor shall ensure that sufficient manpower is always deployed for preparation and serving each meal including cleaning, washing and overall upkeep of Canteen assets and premises.
- 11. The contractor shall also ensure proper room services for the NIFT officials as and when required.
- 12. The contractor should supply the items at the rates fixed on finalization of tender for the items listed in Annexure B-I & B-II & B-III.
- 13. The Approved rate list should also be displayed at NIFT Canteen mandatorily.
- 14. The contractor should also follow the brand of raw material as listed in Annexure 'A-III'.

A. GENERAL TERMS AND CONDITIONS: -

- 1. The contractor must pay monthly maintenance charge to NIFT Srinagar of Rs 5000.00 for using the space and other infrastructures. The contractor has to deposit the monthly maintenance charge on monthly basis in advance by or before 5th day of month.
- 2. The contract shall remain valid for a period of <u>One year</u> from the date of its commencement. The contract can be further extended on the same terms and conditions <u>on yearly basis</u> up to 3 years, the rights of which is reserved by NIFT. The extensions shall be based on the satisfactory performance of the contract. NIFT may terminate the Contract with the Firm with a one month's notice. The Contract once awarded can be terminated by the Contractor after giving three months' notice as NIFT have to make alternative arrangements for running the Canteen. Nevertheless, NIFT may terminate the contract of the Firm without any notice in case the Firm commits a breach of any of the terms of the contract. NIFT's decision that a breach has occurred will be final and shall be accepted without demur by the Firm.
- 3. By submitting bid, it shall be presumed that contractor has accepted all terms and conditions mentioned in this tender.
- 4. The Contractor will be required to pay to the Institute electricity charges on actual basis, for which sub-meters shall be installed by the contractor. Out of the total bills received by the Institute for electricity consumption, the amount in respect of the units consumed by the Contractor shall be paid by him to the Institute as per average rate of unit consumed by the campus.
- 5. Refilling of the commercial gas connections will be borne by the contractor.
- 6. The rates quoted in this bid shall be for the items to be supplied at NIFT Canteen, Contractor shall not be allowed to reduce the items required from the canteen without prior written permission from NIFT. Failure to supply any item at the indicated cost shall be considered a breach of contract and invite action.
- 7. The rates of items in Annexure B-I, B-II & B-III cannot exceed the maximum rates fixed. Packaged goods should not be sold more than MRP. In case any bidder is quoting higher amount, the fixed rates shall prevail.
- 8. Vendors shall use recyclable / reusable plates & cups to avoid usage of plastic.
- 9. Items to be sold in Canteen as per approved list only.

- 10. The Tenderer will have to enclose Self Declaration for **Earnest Money Deposit** with the **Technical Bid.**
- 11. NIFT shall be entitled to take over possession of the premises after expiry of 24 hrs notice with no further correspondence. However, any case of default will be pointed out in writing to him as and when it comes to the notice to enable him to correct and rectify his mistake.
- 12. Tender shall be submitted in official tender form only, <u>if submitted in any other format the same shall be summarily rejected</u>. No Tenderer shall be issued more than one tender form.
- 13. The schedules issued with the form of tender listing the menus etc. for Canteen services to be rendered, must not be altered by the Tenderer. Any modifications/alterations of the rate schedules considered necessary by the Tenderer should be in the separate letter accompanying the tender.
- 14. No paper shall be detached from the tender.
- 15. The name and address of the Tenderer with rubber stamp shall be clearly written in the space provided and no overwriting, corrections, insertion shall be permitted in any part of the tender unless duly countersigned by the Tenderer. The tender should be filled in and submitted in strict accordance with the instructions laid down herein otherwise the tender is liable to be ignored.
- 16. The tender is liable to be ignored if complete information is not given therein or if the particulars and data (if any) asked for in the Schedule to the tender are not filled in.
- 17. Individual signing the tender or other documents connected with the tender must specify whether he signs as:
 - a. A sole proprietor of the concern or constituted attorney of such sole proprietor.
 - b. A partner of the firm if it is a partnership firm, in such case he must have authority to execute contracts on behalf of the firm by virtue of partnership agreement or by a power of attorney duly executed by the partners of the firms.
 - c. Director or Principal Officer duly authorized by the Board of Directors of the company.
- 18. In case of above a copy of the partnership deed or general power of Attorney, in either case attested by a Notary Public should be furnished or an affidavit on stamp paper duly sworn or affirmed by all the partners admitting execution of the partnership agreement or the general power of Attorney should be furnished. The attested copy of the certificate or registration of firm should be attached along with the tender. In case of partnership firm, where no authority to refer dispute concerning the business of the partnership has been conferred on any partner, the tender and all other related documents must be signed by all the partners of the firm. In case of 15 (C) above the person singing the tender should be authorized by a resolution passed by the Board of Directors and a copy of the resolution attested by the Principal Officer should be attached.
- 19. The successful Tenderer must furnish **Security Deposit of 3 % of Estimated Contract Value** only in the form of demand draft as refundable in favour of the "National Institute of Fashion Technology, Srinagar". No interest shall be payable on this deposit. The same will be returned after the successful completion of contract and after adjusting dues if any, of the contractor.
- 20. Late tenders will not be considered. **NIFT reserves the right to accept or reject any or all the** offers either fully or partly without assigning any reason.
- 21. NIFT Srinagar shall have the powers to remove any difficulty/anomaly for successful running of Contract.
- 22. Telegraphic/fax or conditional tender will not be considered.
- 23. Gas Cylinder (Commercial) will be arranged by the contractor for continuing the canteen services throughout contract, no separate payment will be made by NIFT for the same.
- 24. NIFT's decision that a breach has occurred will be final and shall be accepted without demur by the contractor.

- 25. If at any time during the period of contract, it comes to the notice of the NIFT that the Agency has mislead the NIFT be way of giving incorrect/false information, which has been material in the award of Contract to him/her, the contract shall be liable for termination besides other legal action which may be initiated against the Agency or the owner /partners/directors or any person responsible for the affairs of the Agency under law.
- 26. The contractor will have to provide a list of workers who will be working at NIFT Campus and provide complete details about them. The contractor will also provide police verification and medical report of all his/her workers working within NIFT Campus. The strength of manpower deployed by contractor must commensurate with the contract/business. NIFT Srinagar authorities shall reserve the right to determine adequacy of staff deployment, which shall be binding on contractor.
- 27. The contractor will have to submit an affidavit at the time of signing the agreement indicating that all employees of the contractor are paid the minimum wage as per Minimum Wages Act of the Central Government.
- 28. The financial bid/s of the technically qualified bidders will only be opened.
- 29. Contractor may have to serve foods/refreshments from time to time as per requirement of the Institute during various events/programmes against extra payment on actual.
- 30. Contractor shall abide by all laws of the land including Labour Laws (ESI, EPF, Bonus, Income Tax, Service Tax or any other extra taxes levied by the Govt.) companies Act, Tax deduction liabilities, welfare measures of its employees and all other obligations of the region and also those Laws which are not essentially enumerated and defined herein. Any such claims at a later stage shall be the exclusive responsibility of the Contractor and it shall not involve the centre in any way whatsoever.
- 31. The contractor will also submit a medical certificate on half yearly basis that all his/her employees handling food are not having any contagious diseases.
- 32. The contractor will ensure that neat and clean clothes and aprons are always used by his/her employees handling food. Every employee so appointed by the contractor shall wear the prescribed uniform. The said uniform shall be provided by the contractor at his own cost. The Canteen workers will bear the Identity Card issued by NIFT, Srinagar Centre during the working hours.
- 33. The contractor shall not be allowed to keep his/her employees inside NIFT Canteen between 10:30 P.M. to 5:00 A.M. on any day. Essential staff will be provided separate accommodation based on availability.
- 34. The Canteen shall remain open from 8:30 A.M. to 09:00 P.M. from Monday to Sunday (including Local/National Holiday) on all working days. However, depending on the exigencies, the contractor may be required to keep the Canteen open or close as per requirement of NIFT.
- 35. The contractor will occupy the space earmarked for canteen and kitchen and shall not occupy the adjacent verandas and open space.
- 36. The contractor will ensure that his/her employees do not loiter around in the campus. In case of any loss to NIFT caused by the employees of the contractor, the contractor will be responsible.
- 37. NIFT reserves the right to instruct the contractor to remove any person deployed by the contractor without assigning any reason or notice.
- 38. The contractor will ensure high standard of cleanliness, hygiene and sanitation in the kitchen and canteen. The contractor will make the arrangements for keeping all eatables in covered showcase, free from flies and insects. Adequate number of dustbins will be provided by the contractor to ensure proper disposal of garbage. There should not be any littering of unused food or any other articles within the canteen. The contractor will also ensure that no used utensils viz Cups, plates are lying in the NIFT campus and these should be removed immediately and frequently.

- 39. Contractor shall ensure daily removal of canteen garbage from the canteen premises. However, before the garbage is taken out for disposal, the Security Supervisor would need to check it physically in order to ensure that the material being disposed does not contain any useful items.
- 40. The contractor will ensure that the cooks have proper shave and clipped nails while cooking food and should wear apron and head gear.
- 41. The contractor will ensure that the cooked and uncooked food is stored properly, and no stale food is served. In case of any food poisoning, the contractor will be held solely responsible and will be penalized besides legal action.
- 42. The raw materials used for cooking can be checked by the Canteen/Mess Committee at any time and if substandard/unauthorized materials are found, the contractor will be penalized at the discretion of NIFT and contractor will have to abide by it. The penalty will include at least Rs.5,000/- per occasion in case if it is found using sub-standard material.
- 43. The contractor will be required to display the Menu and rate list of all the food articles, soft drinks, tea, coffee and juice etc. sold in the canteen.
- 44. The contractor should have sufficient equipment & crockery and other items normally required to cater to at least <u>150</u> persons at a given time. He should have sufficient utensils, crockery and other infrastructure to provide the service and for Buffet Lunch/High Tea, as and when required.
- 45. The contractor should take all safety measures (including fire) while running canteen. He will keep a First- Aid box for the persons deployed to work in canteen.
- 46. The contractor shall not deploy minor / child labour for the Canteen work.
- 47. The contractor shall abide by all laws of the land including labour laws, Tax deduction liabilities, welfare measures of its employees and any other statutory obligations.
- 48. NIFT will deduct Income Tax at source under section 194-C of the Income tax Act, 1961 from the bills of the contractor.
- 49. The rates for different items shall be as per the list enclosed. The contractor if intends to serve eatables not specified in the enclosed list, the same must be with the approval of rates by the Canteen/Mess committee / NIFT authorities.
- 50. The Canteen/Mess Committee member(s) may inspect the preparation of food etc. on time to time.
- 51. In the event of unsatisfactory services rendered by the contractor, the contract may be cancelled by the NIFT. Monetary fine as penalty @ Rs. 1000/- per day will be imposed for every default during the period of contract. If the services do not improve within 03 working days, a monetary fine as penalty of Rs. 5,000/- per day will be imposed for the defaults and this will have to be paid by the contractor within a week on receipt of communication from the NIFT, failing which it will be adjusted against the Security Deposit.
- 52. No responsibility will be taken by the NIFT for credit sales to students, staff, employees and others, losses or pilferage.
- 53. No legal right shall vest in the contractor's workers to claim employment or otherwise absorption at NIFT, nor the contractor's workers shall have any right whatsoever to claim the benefit and/or emoluments that may be permissible or paid to the employees of NIFT. The workers will remain the employees of the contractor and this should be the sole responsibility of the contractor to make it clear to his/her workers before deputing them to work at NIFT.
- 54. The contractor shall not engage the services of any sub-contractor or transfer the contract to any other person. If, it is found at any time that the contractor is unable to provide the canteen services and has subcontracted to any other party, the NIFT has right to terminate the contract and to forfeit all security deposits.
- 55. Firms submitting tender would be considered to have read & accepted all terms & conditions. No enquiries verbal or written shall be entertained in respect of acceptance or

- rejection of the tender. The bidder shall in a separate sheet disclose the details of the partners/directors etc. which shall be enclosed with technical bid.
- 56. The bidder should indicate the names of the firm/firms along with location where they are currently having business with them and which can be seen by the NIFT Officials. A satisfactory report issued by such organization/s must be enclosed with the bid.
- 57. The contractor shall make good all damage/loss which may be caused by any act or default of the contractor, his agents or servants or workers to any property of the Institute. The NIFT reserves the option to make good the damage or loss by charging the contractor with the expenses.
- 58. In case of the breach of the terms of the agreement, security deposit of the contractor is liable to be forfeited.
- 59. Without prejudice to right under any other clause of the contract, the NIFT may in the event of any breach of the conditions on the part of the contractor cancel the contract and charge the contractor with any loss arising from such cancellation.
- 60. Dispute, if any, arising out of the services contract shall be settled by mutual discussion between the parties within 30 days.
- 61. In the event no amicable resolution or settlement is reached between the parties within 30 days after receipt of notice by one party, the dispute/ differences shall be referred to arbitration by sole Arbitrator to be appointed by the Director NIFT as per the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 and the Rules framed thereunder.
- 62. Decision of NIFT regarding interpretation of the terms and conditions shall be final and binding on the Agency.
- 63. The language of the arbitration proceedings shall be in English. The Arbitrator shall give a speaking and reasonable award.
- 64. In case of failure of arbitration as explained above, appropriate courts at Srinagar/Budgam (J&K) will have the jurisdiction to adjudicate upon the matter.
- 65. The contractor shall inform to the administration department of NIFT Srinagar any changes of Canteen workers, if required, made by him along with their police verification and medical report.
- 66. The contractor shall submit duly signed undertaking enclosed with the tender document.
- 67. Any act on part of the Contractor to influence anybody in NIFT would make him liable for rejection of his tender.
- 68. In the event of violation of any contractual or statutory obligations by the Contractor, he/she shall be responsible and liable for the same. Further, in the event of any action, claim, damages, suit initiated against the Institute by any individual, agency or government authority due to acts of the Contractor, the Contractor shall be liable to make good/compensate such claims or damages to the Institute. As a result of the acts of the Contractor, if the Institute is required to pay any damages to any individual, agency or government authority, the Contractor would be required to reimburse such amount to the Institute or the Institute reserves the right to recover such amount from the payment(s) due to the Contractor while settling his/her bills or from the amount of Security Deposit of the Contractor lying with the Institute.
- 69. The canteen workers shall be issued Identity Cards bearing photographs. The contractor shall provide sufficient sets of Uniforms and pair of shoes to his employees and shall ensure that they wear them all times and maintain them properly.
- 70. Refilling of gas cylinders including the maintenance of burners shall be the responsibility of the Contractor. On termination of the contract, the Contractor shall return to NIFT's items along with the canteen Furniture / Fixtures / Equipment etc. provided by NIFT to Contractor.
- 71. The Contractor shall not use the canteen premises for any other activity except for the purpose for which it has been provided for.

- 72. The payment in respect of official meetings/ conference/ hospitality bills of the Institute submitted in duplicate by the Contractor shall be released on receipt basis. Any supply of food items without proper authorization by the designated authority of NIFT will not be paid for.
- 73. In case contractor takes advance from the student it will be the responsibility of the contractor to adjust/reimburse in case the student does not avail canteen facility during holiday or during his/her leave period.
- 74. The L-1 will be decided on the basis of total lowest charges of items mentioned in Annexure B-I. In case of more than one L-1 vendors, decision for allocation of contract will be done by Competent Authority based on experience, credibility and other criteria deemed fit. The preference will be given to the tenderer having maximum experience of providing mess services in similar Govt. organizations as per the records submitted by the bidders at the time of submitting the tender. The recommendations of the committee & the decision of the Director, NIFT Srinagar shall be final in all respect and shall be binding on bidders.
- 75. The NIFT authorities would constitute a Canteen/Mess Committee consisting of Officer, faculty, staff and students. The Canteen Tenderer will have to follow instructions of the Committee related to Menu, meal frequency, food quality, cleanliness, health & hygiene service & Canteen timings to suit student's community requirements.
- 76. The Canteen Tenderer shall also provide various kinds of beverages, snacks and eateries in the canteen at such price/quotes as approved by the Canteen/Mess Committee from time to time. In case of failure, all these items would be served on contractor's account and at his risk by making alternative arrangements, which may please be noted.
- 77. The Canteen services should capture innovative variety and balanced nutrition both for vegetarians and non-vegetarians. Requirement of Canteen services include: (a) Breakfast, Lunch and afternoon snacks with tea/coffee for all students including hostellers and day-scholars, (b) Dinner for hostellers, (c) Breakfast / Lunch etc. to officer/faculty/staff who require such services.
- 78. The Tenderer should visit the campus and the canteen premise to see the infrastructure before bidding. The Tenderer will be provided the space and infrastructure like tables, chairs, light fittings, fans, water coolers and water supply. Canteen furniture, lights i.e. bulb, tubes on monthly maintenance charge basis.
- 79. Evening dinner on all days including holidays (Saturday, Sunday etc.), morning breakfast, will be served to students at Both Girls and Boys hostels and Lunch on all working days to be served at the Institute without any extra charges.
- 80. The Tenderer will maintain daily served menu list in proper register and may be certified daily by canteen/Mess committee member authorized for the purpose.
- 81. In case of student's sickness, hospitalization, etc., the Tenderer shall supply the food in Tiffin at student's hostel as per the recommendations of the authorities without any extra charges.
- 82. NIFT shall not provide any consumable or non-consumable items including raw materials at the canteen for the purpose of Canteen. And the Contractor shall maintain the equipment's provided by the NIFT in good working condition (as per list of inventories enclosed) and would be responsible for damages caused. He will carry out the repairs without any delay to avoid interruption in services and cost of repairs shall be born fully by the contractor. On termination of agreement, Tenderer will hand over all such equipment / articles in good working condition back to NIFT.
- 83. NIFT shall provide a list of normal holidays and students vacations in each semester to the Tenderer for assessing and providing Canteen services to the hostellers residing during holidays and vacations.
- 84. It shall be compulsory for the Canteen Tenderer to take the following hygiene and cleaning measures: (a) Cleaning the kitchen area twice a day, including the store-room, (b) soaking the vessels in hot water at the end of the day, (c) Crockery to be washed with hot water using detergents, (d) thorough cleaning of refrigerators, bottle-coolers and water coolers,

- once a week, (e) Periodic spraying of insecticides, (f) food quality (g) maintain latest standards of health & hygiene (h) Cleaning the dining tables with detergent and water at the end of the day, (i)Thorough cleaning of wash basins with detergent at the end of the day. In case of failure the contractor will be liable for legal actions as per the provisions of J& Food safety Rules and other various Act, applicable in this respect.
- 85. Tenderer shall not sell any cigarette, bidi, paan, alcohol etc. in the canteen and in the NIFT premises, if anyone is found indulging in these activities; the person shall be asked to leave the campus immediately and the Tenderer shall be liable to lose the contract for breach of this condition.
- 86. The Tenderer shall make adequate arrangements to serve tea/coffee/cold drinks, etc. to faculty & staff twice a day (in the morning and afternoon) at their workplace without any additional charge. The Tenderer shall also plan to serve snacks/ tea/coffee/cold drinks etc. in the official meetings and conferences.
- 87. The Tenderer shall ensure that either he himself or one of his responsible supervisors remains present during breakfast/lunch/dinner services to the students.
- 88. The Tenderer shall bring their own tools, cookers, hot boxes, steam boxes, trolleys, equipment, utensils, plates, jugs, etc., in sufficient quantity as needed to maintain the canteen/mess services, in addition to what is provided by NIFT.
- 89. The Tenderer shall undertake that any act of omission or commission including theft, by his staff shall be his sole responsibility and further that he would compensate the Institute immediately, any loss or damage or theft occurring on account of his staff individually or collectively.
- 90. The Tenderer shall be required to enter into an agreement for the due performance of the contract with NIFT. It should be stamped with adhesive stamps as required and should be signed before a First-Class Magistrate or a Justice of Peace or a Notary Public without fail.
- 91. During summer/Winter breaks, caterer will depute appropriate number of cooks and waiters to cater the officers and staff members of NIFT.
- 92. The tender submitted by the tenderers will remain valid for a period of 90 days from the date of opening of the tender.
- 93. Caterer will maintain at least 4 dozen of decent quality crockery set to serve tea/coffee/food to NIFT management, for all official meetings. Caterer should depute at least 2 waiters during such meetings.
- 94. Whenever there is any occupancy in the NIFT's guest house, one person from the caterer will attend the Guest House, as & when it becomes functional.
- 95. The Tenderer shall not keep the canteen closed without prior permission from the NIFT authority. Any such incident shall be treated as breach of contract and suitable action including penalty shall be taken for the same by NIFT, as it may deem fit.
- 96. The contractor shall provide adequate numbers of worker/staff to facilitate serving of Tea/Drinks/Refreshments in Admin & Academic blocks.
- 97. The contractor shall provide adequate numbers of workers/staff to cattier to various meetings/ functions etc in the campus.
- 98. Vendors shall not sell items other than items listed in Annexure- B-I as NIFT Management is committed to provide other facilities such as Milk Parlor or Nestea kiosk etc to the students.

B. TERMS OF FINANCIAL BIDS:

- 1. Bidder for providing Canteen services will be decided at the time of finalization of tender based on <u>lowest rate</u> (Grand Total) quoted for Menu Charges in Annexure B-1. The Items in <u>Annexure B-II & B-III shall be awarded at the discretion of NIFT on Mutual Agreement.</u>
- 2. The contractor must quote the rate of **Annexure B-I, B-II & B-III** mandatorily and abide by the brand specification given in **Annexure A IV.**
- 3. There should not be any calculation & totaling mistake in the Financial Bid. If any mistake in found Competent Authority will have full discretion to accept or reject the Bid.

NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGYSRINAGAR Name of Work: To run the Canteen/Mess at NIFT, Srinagar, J&K.

TECHNICAL BID

(Technical Bid should be kept in separate sealed cover super scribing "Technical Bid" on it).

1.

S.No.	Description	To be filled by the Bidder
1	Name of the Tenderer	
2	Details of Tender document cost	(Rs) With Draft No.

2. Details of Experience in the relevant field, attach copies of experience certificate from the organizations of at least last two years (Attach separate sheet, if required):

S. No.	Period		Period Organization/Agency	Approx. number of Clientele handled/being handled**		
	From	То				

^{**} Certificate from the concerned Agency must also be attached

CHECK LIST:

S. No.	Particulars	Mention 'Yes' or 'No	Page No.
1.	Date of incorporation of the Firm. State whether it is Partnership/ or Proprietorship (attached a certified copy for proof) (Name of the partner should be specified in this case). Separately attach details of partnership/company etc. in Accordance with clause 15.		
2.	Whether "Technical' & 'Price' bids submitted separately and the respective envelopes super scribed properly.		
3.	Whether Bid Security Declaration towards EMD submitted		
4.	Shop Establishment Valid Certificate.		
5.	Whether certificate/document in support of having experience of FY 2017-18, 2018-19, 2019-20 for running canteen/mess in government sector/PSU/Education institutions/private institutions, along with a list of organization (Govt./PSU/reputed MNCs/Organizations) where the contractor is currently providing/provided Mess/Canteen Services is enclosed. (Please attach attested copies of the same along with details as per Form –I & Form-II)		
6.	Whether agrees to pay minimum wages of the Central Government to all employees engaged.		
7.	Whether copy of valid PAN Card enclosed.		
8.	Whether copy of GSTIN enclosed.		
9.	Whether Copy of ITR (FY 2017-18, 2018-19 and 2019-20) duly attested by C.A. enclosed		
10.	Whether registered with FSSAI? Copy of the FSSAI Number		
11.	The annual turnover of the tenderer was minimum Rs. 20 lakhs per annum for the last 02 Financial Year 2018-19 & 2019-20.		
12.	Whether agreed & able to arrange for Crockery, utensil, (, Cutlery, etc required for running the canteen smoothly within 15 days) on accepting the work order.		
13.	Copy of Final accounts duly Certified by CA for the last <u>two Assessment Years</u> (to the attached) 2018-19 and 2019-20 (CA certified audited/unaudited)		
14.	Whether the firm/Company has ever been blacklisted by any Govt./Non-Govt. agency.		
15.	PF and ESI registration (if not applicable, to be given on company's letter head)		
16.	Whether willing to pay monthly maintenance charge of Rs 5000.00 to NIFT Srinagar		
17.	Address Proof of Registered Office as well Branch office at Srinagar, J&K of the firm agencies.		
18.	Copy of the terms and condition and every page of the tender document duly signed with seal of the firm, in token of the acceptance of terms and condition of the tender. (Yes /NO)		

Note: (1) The bid without relevant category of FSSAI certificates shall be summarily rejected

Signature of the Tenderer & Date with Rubber Stamp

UNDERTAKING

I/We Terms & Conditions and the rates enumerated above.	hereby solemnly agree to abide by the
Any break of the Clause/Clauses will render my/our con	tract null and void.
I/We have understood completely about this tender do have also understood that I/We must maintain the high mentioned in the rate list of items with the tender.	
Dated	
	Signature of the Contractor
Nam	e of the Contractor
(Fo	ull signature of the Tenderer with seal of the Agency)

The Director,
National Institute of Fashion Technology
NIFT Campus, Rangreth,
Srinagar, J&K.

Ref. your tender No.

Sir/Madam,

- 1. I/We the undersigned (hereinafter known as "the contractor") hereby apply for grant of contract for running the canteen at NIFT Srinagar at Rangreth.
- 2. I/We have gone through all the terms and conditions and the schedule of items as enlisted by you in your notice inviting tender for the subject under reference.
- 3. I/We hereby confirm that I/We have understood all the terms and conditions and confirm my/our commitment to abide by them. In case of any discrepancy/dispute or wrong/incorrect nomenclature in the schedule, the decision of NIFT shall be final.
- 4. I/We also confirm my/our commitment to provide the material as enlisted in the schedule of items with your notice inviting tender under reference.
- 5. I/We enclose herewith experience certificate duly signed by Principal/Director/Manager of
- 6. I/We understand that I/We shall have to deposit a **security deposit 3% of Estimated Contract Value (refundable)** in favour of NIFT, Srinagar before signing the "Agreement" in case I am/We are awarded the contract. This deposit will not bear any interest and shall be refunded on termination of the contract after adjusting dues, if any.
- 7. In case the contract is awarded to me/us, I/We shall sign an agreement within 10 days (on a non-judicial stamp paper of prescribed value) of the receipt of the letter awarding the contract.

Signature of the Tenderer &Date with Rubber Stamp

Form of Bid-Securing Declaration

Date: [insert date (as da Bid No.: []	y, month and year)]		_	
To National NIFT Srinagar of Ministry of Textiles, Go SIDCO Electronic Comp Srinagar-191132 J&K	ovt. of India			
I/we, undersigned and of I/we, understand that, Declaration. I/we, accept that we will with the NIFT Srinagar under the bid conditions (a) have withdrawn our (b) having been notified validity, (i) fail or refus Performance Security, in	according to your co Il automatically be susp for the period of time s, as listed below: Bid during the period d of the acceptance of the to execute the Con	pended from bee of 3 years, if of bid validity s our Bid by the tract, if require	eing eligible for bidding we are in breach of ou pecified in the Letter of NIFT Srinagar during th	in any contract ur obligation(s) f Bid; or ne period of bid
Signed				
Name:				
Dated on	_ day of		[insert date of signin	g]
Corporate Seal (where a	appropriate)			
[Note: In case of a Joint to the Joint Venture tha		uring Declaratio	n must be in the name	of all partners

UNDERTAKING

/Wesolemnly state that I/We have not so far been black listed by ny of the institutions/offices in which I/We have worked/run canteen.
Signature of contractor
(Full signature of the Tenderer with seal of the Agency)
Date:
Place:

Permissible Brands of Consumables

Items	Brand
Salt	Iodized salt such as Tata, Annapurna, Nature Fresh
Spices	MDH, MTR, Kanwal or equivalent quality brands or Agmark brand
Ketchup	Maggi, Kissan, Heinz
Oil Refined oil	such as Sundrop, Nature Fresh, Fortune or equivalent
Pickle	Mother's/ Priyaor/ Tops/Nilons
Atta	Aashirvad, Pillsbury, Nature Fresh/Shakti Bhog
Butter	Amul, Britania, Mother Dairy, Hutson, Super/Saras
Bread	Harvest/Britania make / Top & Town / Modern / Avon
Jam	Kissan, Nafed
Milk	Verka, Super/Amul/Saras
Paneer	Amul/Mother Dairy / Super
Теа	Brook Bond, Lipton, Tata
Coffee	Nescafe, Rich, Bru
Biscuits	Britania, Parle, Good Day, Unibic, Digestive,etc.
Ice Cream, Lassi, Curd	Mother Dairy, Amul, Kwality, Cream Bell - all varieties, Top & Town, Vadilal
Mixtures/Chips	Haldiram/Bikaner or any good brand
Mineral Water	Kinley/Bisleri/Aquafina/Rohtang or ISI marked
Besan, Dal	Rajdhani, Shaktibhog or Agmark brand
Rice	Basmati, India Gate or Agmark brand
Cold Drinks	Pepsi, Coke, Thumps Up or any good brand etc.
Juices	Real, Tropicana
Lemon Water	Lemon, Kissan, Hello etc.

	Items	Rates quoted by the tenderer (including all taxes &GST) (in Rs.) for 30 days per student.
BREAKFAST	 Tea (Lipton 100ml) Cornflakes +Milk (150ml) Anyone of the following on rotation basis. Poha+ 2 slice toasted bread with butter/jam. Idli + Chuney Puri - Bhaji Onion Uttapam + Chutney Alu Paratha Omlette(2eggs) +2piece toasted bread. 	
LUNCH (to be served at NIFT Campus at Rangreth on all working days	 Unlimited Rice Unlimited Chapatti (with and without Ghee), Unlimited Dal, One unlimited Curry, Salad consisting of lime and any three of the following Onions, Cucumbers, Tomatoes, carrots, beetroot/Curd/Raita Pickle, Papad 	
DINNER	 Unlimited Rice Unlimited Chapatti (with and without Ghee), Unlimited Dal, One unlimited Curry, Paneer (70gms) & Chicken (1/4th) to be served once a week. Salad consisting of lime and any three of the following Onions, Cucumbers, Tomatoes, carrots, beetroots/Curd/Raita Pickle, Papad 	
One Swee	et dish to be served at least once a week	
Grand Total (Inclus	ive of all taxes & GST) for 30 days per student.	

^{*}Bid Quoted in any other form like percentage etc shall be summarily rejected.

The menu can be changed by the student of the <u>Canteen/Mess Committee</u> and will inform in advance to the Contractor/Canteen Manager and the Contractor Canteen Manager is bound to comply the menu. Hostel is ordinarily open for 10 months only.

Other items may be sold by the contractor with the prior approval and approved rates by NIFT management. Packaged goods should not be sold more than MRP. Also, vendors shall use recyclable / reusable plates & cups to avoid usage of plastic.

In addition to the above, some other items may also be quoted by the contractor. (As and when required)

These items must be supplied as specific order.

Sr. No.	Particular	Rate Quoted by the Tenderer in Rs. (inclusive of all taxes & GST)
1.	High Tea Roasted Kaju (15 grams) 2-piece Gulab Jamun/Rasgulla/2 Kaju Burfi Pakora (Paneer/Gobhi/Vegetable (100 grams) etc.) Pastry (Blackforest/Chocolate/Vanilla/Strawberry) Kandvi/Dhokla Wafers (uncle chips, lays etc.) Juices/ Tea/ Coffee Assorted Biscuits	
2.	 Snacks Pakora (Paneer/Gobhi/Vegetable (100 grams) etc.) Wafers (uncle chips, lays etc.) Tea/ Coffee/Soft drinks Assorted Biscuits 	
3.	 Veg Items/ Breakfast/Lunch/Dinner (Buffet) (Unlimited) Two Vegetables (One Seasonal Vegetable (200 grams) One Shahi Paneer/MalaiKofta/Mushroom/Paneer Mutter (200 grames) etc. Daal Fri (200 grams) Pullav/Jeera Rice (200 grams) Chapatti/Tandoori, Roti/Nan/Puri(4 No.) Salad Pappad Pickle Raita/Plain Curd/Dahi Bhalla (100 grams) Sweet dish Mineral Water Bottle 	

^{*}Bid Quoted in any other form like percentage etc shall be summarily rejected.

<u>Note:</u> Packaged goods should not be sold more than MRP. In case any bidder is quoting higher amount, the fixed rates as above shall prevail. Also, vendors shall use recyclable / reusable plates & cups to avoid usage of plastic. Items to mention above will be only sold in the Canteen. Selling of any items will be allowed only with the approval of NIFT Management Srinagar.

Signature of the Tenderer & Date with Rubber Stamp

Further, some Non-Veg items may also be quoted by the contractor (as and when required).

S.No.	Particulars	Rate Quoted by the Tenderer in Rs. (Inclusive of all taxes & GST)
01.	Butter Chicken (1/2)	
02.	Tandoori Chicken (1/2)	
03.	Kabab (Mutton) 1No.	
04.	Shaami Kabab 1No.	
05.	Rista (1 pc with Gravy)	
06.	Goshtab (1pc with Gravy)	
07.	Rogan Josh (1pc with Gravy)	
08.	Fried Fish (250 Grams)	
09.	Chicken Biryani (Full/Half)	
10.	Tandoori Plain Naan 01No.	
11.	Tandoori Butter Naan 01 No.	
12.	Dessert- Kheer/Halwa (01 Small Bowl)	

^{*}Bid Quoted in any other form like percentage etc shall be summarily rejected.

Signature of the Tenderer & Date with Rubber Stamp

FINANCIAL BID

The vendors may before fill the financial bid may note that the vendor is being selected as the basis of following:

- 1. That the vendor is agreeable to provide the desired items/ at the rates fixed by NIFT.
- 2. That the vendor is agreeable to provide canteen facilities and items listed in the tender.
- 3. That the vendor at no point of time will increase the rates (except in case of MRP items on their revision).
- 4. That the vendor is ready to bear electricity charges on consumption basis.

Consequent upon accepting the above I/We M/s	quote the charges for
Canteen as per Annexure B-I:-	

Note

- 1. The contract will be awarded on the basis of Grand total quoted by the bidder in B-I.
- 2. The rates provided must be made as per above tables Annexure B-I & B-II & B-III. If required, the agency/ firm may provide the breakup on separate sheet.
- 3. The Items in Annexure B-II & B-III shall be also allotted to L1 of Annexure B-I on negotiated rates to bring them at par with L1 of Annexure B-II &B-III.
- 4. TDS (Income Tax/GST) shall be applicable as per norms & shall be borne by the Contractor.
- 5. L1 will be decided on the basis of Grand Total Amount in Annexure B-I. The tenderer quoting lowest rate will be considered as L-1. In case two or more tenderers quoting same rates/same profit margin, preference will be given to the tenderer having maximum experience of providing mess services in similar Govt. organizations as per the records submitted by the bidders at the time of submitting the tender. The recommendations of the Committee and the decision of the Director, NIFT Srinagar shall be final in all respect and shall be binding on bidders.

Signature of the Tenderer & Date with Rubber

Statement of the clients during last three years

S. No.	Name and Address of the firm	Name, Designation and Contact Phone no. of the official incharge	No. of Workers deployed	Period of Contrac t From -	Monthly contract amount (Rs.)	Total value of Contract (Rs.)	Total Year of Experien ce	Sr. no. of proof attache d
1	2	3	4	5	6	7	8	9

S.No.	Name and Address of the firm	Name, Designation and Contact Phone no. of the official in-charge	deployed	Period of Contract From - To	Monthly contract amount (Rs.)	Total value of Contract (Rs.)	Total Year of Experien ce	Sr. no. of proof attached
1	2	3	4	5	6	7	8	9

